ऋण करार

पहले भाग का यह ऋण करार अनुसूची में उल्लिखित स्थान पर और अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक ("करार) को बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड/ऋणदाता के "बीच" किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित और पंजीकृत कंपनी है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसका पंजीकरण क्रमांक [N-13.02534] है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय 305, समर्पण कॉम्प्लेक्स, लिंक रोड, साटम वाडी के सामने, चकाला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 099 में है, टोल-फ्री नंबर - **18002674888,** ग्राहक सेवा नंबर **- 022-65431100,** CIN क्रमांक: **U64990MH2025PTC443949**, वेबसाइट: www.bnfl.in पर है (इसके बाद "उधारदाता" कहा जाता है, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि यह इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसका मतलब होगा और इसके स्वत्वाधिकार तथा प्रत्यायोजन में इसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे) ;

और

अन्य पक्ष की अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों (जिन्हें इसके बाद "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित/सामूहिक रूप से संदर्भित किया जाएगा), जिसकी स्वीकृत अभिव्यक्ति, जब तक कि यह उसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, का अर्थ होगा और इसमें शामिल हैं, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि (जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति/एकमात्र स्वामी है), उत्तराधिकारी (जहां उधारकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के तहत शामिल कंपनी है), फर्म के समय-समय पर भागीदार, उनके उत्तरजीवी और भागीदार के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी (जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है), उक्त हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य या सदस्य, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती (जहां उधारकर्ता एक हिंदू अविभाजित परिवार है);

जबकि:

a) उधारकर्ता ने अनुसूची में उल्लिखित राशि के ऋण/वित्तीय सहायता के लिए ऋणदाता से संपर्क किया है।

b) उधारदाता ने उधारकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों, वारंटियों, अनुबंधों और वचनबद्धताओं पर भरोसा करते हुए, उधारकर्ता के अनुरोध पर विचार किया है और इसमें निहित शर्तों और नियमों पर संपार्श्विक के आधार पर उसे उधार देने और अग्रिम देने पर सहमति व्यक्त की है।

c) इसकी पार्टियां ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण के संबंध में नियम व शर्तों तथा उससे संबंधित कुछ अन्य मामलों को इसके बाद दिए गए तरीके से दर्ज करने के इच्छुक हैं।

अनुच्छेद 1: व्याख्या

(a) 1.1 जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इस करार में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें समनुदेशित किए गए हैं: "परिशोधन अनुसूची" का तात्पर्य इस करार से जुड़ी परिशोधन अनुसूची से है और इसमें ऋणदाता द्वारा समय-समय पर संलग्न या निर्धारित सभी परिशोधन अनुसूची (अनुसूचियाँ) शामिल हैं।

(b) "उधारकर्ता" से तात्पर्य अनुसूची में उधारकर्ता के रूप में वर्णित व्यक्ति से है तथा इसमें उसमें नामित सह-उधारकर्ता भी शामिल है।

(c) "समान मासिक किस्त" या ("EMI") का अर्थ है ऋण के संपूर्ण अवधि के दौरान मासिक रूप से देय किस्त, जो संलग्न परिशोधन अनुसूची के अनुसार ऋण के परिशोधन के उद्देश्य से है या जो समय-समय पर संलग्न हो सकती है, जैसा भी मामला हो या (ii) ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई परिक्रामी सुविधा के मामले में, प्रासंगिक उपयोग के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार देय किस्त, जैसा कि समय-समय पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(d) "चूक की घटना" का अर्थ निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना है:

i) बकाया राशि का भुगतान: यदि EMI या उसके किसी भाग के भुगतान में और/या इस करार के अनुसार ऋणदाता को देय किसी अन्य राशि के भुगतान में और/या किसी अन्य करार/दस्तावेज के अनुसार, जो विद्यमान हो या जो उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच इसके बाद निष्पादित किया जा सकता है, कोई चूक हुई हो;

ii) वचनबद्धताओं का पालन: यदि इस करार के तहत उधारकर्ता की ओर से किसी अन्य प्रसंविदा, शर्तों या समझौतों के निष्पादन में चूक हुई हो या ऋण या किसी अन्य ऋण के संबंध में उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच कोई अन्य करार हुआ हो/हुये हों;

iii) भ्रामक जानकारी की आपूर्ति: यदि ऋण आवेदन में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई कोई भी जानकारी या अन्यथा किसी भी भौतिक संबंध में भ्रामक या गलत पाई जाती है या अनुच्छेद 6 में संदर्भित कोई भी व्यपदेशन या वारंटी गलत पाई जाती है;

iv) प्रतिभूति का मूल्यह्रास: यदि कोई संपत्ति जिस पर ऋण के लिए प्रतिभूति बनाई गई है, उसका मूल्य इस सीमा तक कम हो जाता है कि ऋणदाता की राय में आगे प्रतिभूति दी जानी चाहिए और ऐसी प्रतिभूति नहीं दी जाती है;

v) संपत्ति की बिक्री या निपटान: यदि संपत्ति या उसका कोई भाग किराये पर दिया गया है, छुट्टी और लाइसेंस पर दिया गया है, बेचा गया है, निपटाया गया है, ऋणभारग्रस्त किया गया है या किसी भी तरह से स्वत्वाधिकार अंतरित किया गया है;

vi) संपत्ति की कुर्की या संलग्नता: यदि संपत्ति या उसके किसी भाग पर कुर्की या संलग्नता उगाही जाती है और/या संपत्ति के विरुद्ध उधारकर्ता से किसी बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जाती है या शुरू की जाती है;

vii) सूचना/प्रलेख प्रस्तुत करने में विफलता: यदि उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी या प्रलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

viii) चूक की घटना की सूचना देने में विफलता: यदि उधारकर्ता ऋणदाता को किसी चूक की घटना या किसी ऐसी घटना के बारे में सूचित करने में विफल रहता है जो नोटिस या समय की समाप्ति या दोनों के बाद चूक की घटना बन जाएगी;

ix) चेक/ECS/ SI/ ACH/ NACH का भुगतान न करना/नवीनीकरण न करना: यदि किसी भी भुगतान के संबंध में चेक/ECS/ 51/ ACH/ NACH, जिसमें EMI भी शामिल है लेकिन उस तक सीमित नहीं है, किसी भी कारण से अस्वीकृत हो जाता है या इस करार की अवधि के दौरान नवीनीकृत नहीं किया जाता है;

x) चेक/ECS/51/ACH/NACH की डिलीवरी न होना: यदि उधारकर्ता ऋण की शर्तों के अनुसार या ऋणदाता द्वारा मांगे जाने पर पोस्टडेटेड चेक/ECS/51/ACH/NACH देने में विफल रहता है;

xi) शेष राशि की पुष्टि करने में विफलता: यदि ऋणदाता से विवरण प्राप्त होने के 10 (दस) दिनों के भीतर ऋणदाता द्वारा बताए गए ऐसे विवरण की गणना में किसी भी स्पष्ट त्रुटि के अभाव में ऋणदाता द्वारा अपेक्षित ऋण की शेष राशि की पुष्टि पर हस्ताक्षर करने और उसे ऋणदाता को सौंपने में ऋण लेने में विफल रहता है;

xii) प्रतिभूति अप्रवर्तनीय होती जा रही है: यदि ऋण के लिए कोई प्रतिभूति या

गारंटी निष्फल हो जाती है या उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे चुनौती दी जाती है;

xiii) तलाक या मृत्यु: जहां उधारकर्ता या जहां ऋण एक से अधिक उधारकर्ताओं को प्रदान किया गया है, उधारकर्ताओं में से किसी एक का तलाक हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है;

xiv) क्रॉस डिफ़ाल्ट: यदि उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को प्रदान किए गए किसी अन्य ऋण या सुविधा की किसी भी शर्त, प्रसंविदा और नियम के पालन में चूक करता है;

xv) अंतिम उपयोग विवरण प्रस्तुत करने में विफलता: यदि उधारकर्ता ऋणदाता से अनुरोध प्राप्त होने के 10 (दस) दिनों के भीतर ऋणदाता को ऋण का विस्तृत अंतिम उपयोग विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

xvi) संविधान में परिवर्तन आदि: उधारकर्ता (यदि उधारकर्ता कोई कंपनी या फर्म है) के संविधान, प्रबंधन या मौजूदा स्वामित्व या शेयर पूंजी के नियंत्रण में ऐसा कोई परिवर्तन होता है, जिसे इस करार के अनुसार ऋणदाता को पहले से अधिसूचित और अनुमोदित नहीं किया गया है; और

xvii) दिवालियापन: जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति है, यदि उधारकर्ता दिवालियापन का कार्य करता है या खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन करता है या उधारकर्ता के खिलाफ उसे दिवालिया घोषित करने का आदेश पारित किया जाता है/ जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है, यदि उधारकर्ता को भंग कर दिया जाता है या उसे या उसके किसी भी भागीदार को विघटन का नोटिस दिया जाता है या यदि उधारकर्ता या उसके किसी भी भागीदार ने दिवालियापन का कार्य किया है या दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन करता है या उसे या उनमें से किसी को दिवालिया घोषित करने का आदेश पारित किया जाता है/ जहां उधारकर्ता (vi) एक कंपनी है, यदि उधारकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 के अर्थ में अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या उधारकर्ता के समापन के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है या उसके समापन के लिए कोई याचिका दायर की जाती है या उधारकर्ता के खिलाफ समापन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या यदि उधारकर्ता की किसी संपत्ति या संपदा के संबंध में एक परिसमापक नियुक्त किया जाता है या उधारकर्ता को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दिवालिया घोषित किया जाता है।

xviii) बीमा प्राप्त करने में विफलता: उधारकर्ता इस करार के अनुसार अपनी परिसंपत्तियों पर प्रासंगिक बीमा पॉलिसियां प्राप्त करने और बनाए रखने में विफल रहता है। उधारकर्ता द्वारा लिया गया या अनुबंधित कोई भी बीमा किसी भी समय 15 (पंद्रह) कैलेंडर दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं रहता है या समाप्त हो जाता है, जब इसे प्रभावी होना आवश्यक होता है या कोई भी बीमा टाला जाता है, या कोई भी बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता किसी भी बीमा या इसके तहत किसी भी दावे को टालता है या निलंबित करता है या टालने या निलंबित करने का हकदार हो जाता है या किसी भी बीमा के तहत अपनी देयता को कम करता है या किसी भी बीमा का कोई भी बीमाकर्ता किसी भी बीमा के तहत अपने दायित्वों को पूरी तरह या आंशिक रूप से पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होता है, या बाध्य होना बंद कर देता है।

xix) अवैधता: इस करार के तहत उधारकर्ता के लिए अपने किसी भी दायित्व को पूरा करना गैरकानूनी है या हो जाता है।

xx) विधि में परिवर्तन: उधारकर्ता पर लागू किसी कानून और/या विनियमन में कोई भी परिवर्तन, जिसका उधारदाता की राय में, उधारकर्ता के राजस्व पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

(e) "ब्याज" या "ब्याज की दर" से तात्पर्य उस दर से है जिस पर ऋणदाता ने उधारकर्ता को उधार देने पर सहमति व्यक्त की है, जो अनुसूची में उल्लिखित है, और जो या तो अस्थिर दर या स्थिर दर या दोहरी दर ऋण होगा।

(f) "ऋण" का अर्थ अनुसूची में उल्लिखित ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी गई वित्तीय सहायता की राशि है और इसमें मूल राशि, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज और/या इस करार के नियमों और शर्तों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय कोई अन्य राशि शामिल है।

(g) "ऋण आवेदन" का अर्थ है ऋण आवेदन में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ऋणदाता से वित्त सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत सहायक प्रलेखों के साथ आवेदन।

(h) "व्यक्ति" में व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी और व्यक्तियों का संघ शामिल होता है।

(I) "संपत्ति" से तात्पर्य अनुसूची में वर्णित आवासीय या वाणिज्यिक अचल संपत्ति या कोई अन्य संपत्ति से है, जिसे ऋण की चुकौती सुनिश्चित करने के लिए ऋणदाता को संपार्श्विक के रूप में पेश किया गया है और इसमें शामिल हैं:

- फ्लैट के मामले में, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र और उस भवन के नीचे सामान्य क्षेत्रों और भूमि में आनुपातिक हिस्सा जिसमें फ्लैट निर्मित है या बनाया गया है; या
- व्यक्तिगत मकान के मामले में, मकान और भूमि का वह सम्पूर्ण भूखण्ड जिस पर मकान निर्मित है;

(j) "पूर्व भुगतान" का अर्थ है इस करार के अनुच्छेद 2.6 की शर्तों के अधीन किसी भी समय आंशिक या पूर्ण रूप से ऋण का पुनर्भुगतान,

(k) "अनुसूची" का तात्पर्य इस करार से जुड़ी अनुसूची से है।

(l) "इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा" (डेबिट क्लियरिंग) जिसे आगे "ECS" कहा जाएगा, का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित डेबिट क्लियरिंग सेवा होगा, जिसमें भागीदारी के लिए उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है ताकि समान मासिक किस्तों के भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके, जैसा कि करार की अनुसूची में अधिक विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।

(m) "स्थायी अनुदेश" जिसे आगे "SI" कहा जाएगा, का अर्थ उधारकर्ता द्वारा अपने बैंक को जारी किए गए लिखित अनुदेश से होगा, जिसमें उधारकर्ता के बैंक खाते से ऋण की चुकौती के लिए ऋणदाता को भुगतान हेतु समान मासिक किस्तों के बराबर राशि डेबिट करने को कहा जाएगा, जैसा कि करार की अनुसूची में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।

(n) "स्वचालित समाशोधन गृह" जिसे आगे "ACH" कहा जाएगा, का अर्थ होगा उधारकर्ता द्वारा अधिदेश प्रपत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित और अपेक्षित या अधिसूचित किसी अन्य प्रपत्र के माध्यम से जारी लिखित अनुदेश, जिसमें उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है ताकि समान मासिक किस्तों के भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके, जैसा कि करार की अनुसूची में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।

(o) "राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह" जिसे आगे "NACH" कहा जाएगा, का अर्थ होगा उधारकर्ता द्वारा अधिदेश प्रपत्र या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित और अपेक्षित या अधिसूचित किसी अन्य प्रपत्र के माध्यम से जारी लिखित अनुदेश, जिसमें उधारकर्ता द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है ताकि समान मासिक किस्तों के भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके, जैसा कि करार की अनुसूची में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।

(p) "उपयोग" का अर्थ करार के खंड 2.1 (बी) में निर्धारित किया गया है।

(q) निम्नलिखित के संदर्भ में संचार के स्वीकार्य साधन:

(A) उधारकर्ता से तात्पर्य होगा:

(i) ऋण आवेदन पत्र में दिए गए अनुसार उधारकर्ता के पंजीकृत मोबाइल/लैंडलाइन नंबर पर भेजा गया टेलीफोन कॉल या टेक्स्ट संदेश या

(ii) ऋण आवेदन पत्र में दिए गए अनुसार उधारकर्ता के पंजीकृत ईमेल पते पर ईमेल या

(iii) उधारकर्ता के पंजीकृत डाक पते पर कूरियर/डाक द्वारा भेजा गया लिखित नोटिस या

(iv) चैटबॉट, बिटली, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया संचार और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्रेषित परीक्षण संदेश और/या

(v) ऋणदाता द्वारा अपनी वेबसाइट पर अधिसूचना

(B) ऋणदाता का अर्थ होगा:

(i) वेबसाइट पर दिए गए ऋणदाता के निर्दिष्ट ग्राहक सेवा नंबर पर प्राप्त टेलीफोन कॉल या

(ii) ऋणदाता के निर्दिष्ट ग्राहक सेवा ईमेल पते पर प्राप्त ईमेल

(r) "दोहरी ब्याज़ दर" का अर्थ है वह ऋण जहां वार्षिकीकृत ब्याज़ दर होगी जिसमें स्थिर ब्याज दर स्थिर दर धारणावधि के लिए होगी जैसा कि इस करार की अनुसूची में दिया गया है और उसके बाद अस्थिर ब्याज़ दर होगी जो बिजनेस नेक्स्टजेन फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अस्थिर ब्याज दर के PLR से सम्बद्ध होगी जैसा कि इस करार की अनुसूची में दिया गया है।

(s) दोहरी दर ऋण लेने वाले उधारकर्ता के लिए "स्थिर दर अवधि" का अर्थ ऋण अवधि का वह भाग होगा जिसके दौरान ऋण पर ब्याज की स्थिर दर लागू होगी और जिसे इस करार की अनुसूची में निर्धारित किया गया है।

(t) दोहरी दर ऋण लेने वाले उधारकर्ता के लिए "अस्थिर दर अवधि" का अर्थ ऋण अवधि का वह भाग होगा जिसके दौरान ऋण पर अस्थिर ब्याज दर लागू होगी, जो कि स्थिर दर अवधि के पूरा होने के बाद शुरू होगी और इस करार की अनुसूची में निर्धारित है।

(u) यदि दोहरी दर पर ऋण ले रहे हैं

a) स्थिर दर अवधि के लिए, करार की अनुसूची में उल्लिखित स्थिर ब्याज दर

b) अस्थिर दर अवधि के लिए, अनुसूची में उल्लिखित प्रसार की राशि और इस करार के तहत उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में अस्थिर दर अवधि के प्रारंभ होने की तिथि पर लागू बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के PLR का योग। इस करार की तिथि पर बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का PLR अनुसूची में उल्लिखित है।

1.2 इस करार में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(a) अनुच्छेदों के संदर्भों को इस करार के अनुच्छेदों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा;

(b) अनुसूची के संदर्भों को इस करार की अनुसूची और समय-समय पर पक्षों द्वारा निष्पादित किसी अनुपूरक या अतिरिक्त अनुसूची के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा और इस करार के संदर्भों में समय-समय पर संलग्न सभी अनुसूचियों के संदर्भ शामिल हैं;

(c) किसी व्यक्ति के संदर्भ को किसी व्यक्ति, फर्म, ऋणदाता या अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, का संदर्भ समझा जाएगा;

(d) "व्यावसायिक दिवस" के संदर्भ को उस दिन (सार्वजनिक अवकाश या रविवार को छोड़कर) के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जिस दिन मुंबई में बैंक सामान्यतः कारोबार के लिए खुले रहते हैं;

(e) "माह" के संदर्भ को एक कैलेंडर माह के किसी दिन से शुरू होने वाली और अगले कैलेंडर माह में संख्यात्मक रूप से संगत दिन पर समाप्त होने वाली अवधि के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसी कोई अवधि किसी ऐसे दिन समाप्त होती है जो व्यावसायिक दिन नहीं है, तब वह अगले व्यावसायिक दिन पर समाप्त होगी जब तक कि वह दिन उस कैलेंडर माह के बाद न आए जिसमें वह अन्यथा समाप्त हो गई होती, उस स्थिति में वह तत्काल पूर्ववर्ती व्यावसायिक दिन पर समाप्त होगी; बशर्ते कि यदि कोई अवधि किसी कैलेंडर माह में अंतिम व्यावसायिक दिन पर शुरू होती है जिसके लिए अगले कैलेंडर माह में कोई संख्यात्मक रूप से संगत व्यावसायिक दिन नहीं है, तो अवधि उस बाद के कैलेंडर माह के अंतिम व्यावसायिक दिन पर समाप्त होगी; और बहुवचन को दर्शाने वाले शब्दों में एकवचन शामिल होगा और विलोमतः।

(f)

1.3 अनुच्छेद शीर्षक केवल सुविधा के लिए डाले गए हैं और इससे प्रावधान की व्याख्या प्रभावित नहीं होगी।

अनुच्छेद-2: ऋण, ब्याज, परिशोधन, कर और पूर्व भुगतान 2.1 2.1 ऋण:

(a) उधारकर्ता ऋणदाता से उधार लेने के लिए सहमत है और ऋणदाता उधारकर्ता को, इसमें निहित शर्तों पर, अनुसूची । के क्रम संख्या 9 में उल्लिखित ऋण की राशि उधार देने के लिए सहमत है।

(b) ऋण सामान्यतः एकमुश्त संवितरित किया जाएगा। उधारकर्ता नीचे दी गई रसीद के संकेतानुसार संवितरित ऋण की प्राप्ति को स्वीकार करता है। इस संबंध में ऋणदाता का निर्णय अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। संवितरण चेक/ड्राफ्ट की तिथि को संवितरण की तिथि माना जाएगा। परिक्रामी सुविधा के मामले में, उधारकर्ता ऋणदाता से एक या अधिक उपयोगों ("उपयोगों ") में ऋण की मूल राशि (राशियां) प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है। बशर्ते कि सभी उपयोगों का कुल योग किसी भी समय ऋण की मूल राशि या ऋणदाता द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य राशि से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक उपयोग के लिए, उधारकर्ता ऋणदाता को स्वीकार्य प्रारूप और तरीके से उपयोग अनुरोध प्रस्तुत करेगा। उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को चुकाए गए किसी भी उपयोग(गों) का लाभ उधारकर्ता द्वारा इस करार के प्रावधानों के अनुसार उठाया जा सकता है। ऋणदाता के पास उधारकर्ता से प्राप्त उपयोग के किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

(c) इस करार के अंतर्गत या इसके नियमों के अनुसार ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को किए जाने वाले सभी भुगतान चेक/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा किए जाएंगे, जिन पर विधिवत रेखांकन किया जाएगा और *'केवल* आदाता' अंकित किया जाएगा/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया जाएगा और ऐसे सभी चेकों के संबंध में वसूली प्रभार, यदि कोई हो, उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

2.2 ब्याज और कर:

(a) ऋण पर लागू ब्याज दर अनुसूची में बताई गई है। बशर्ते कि यदि ऋणदाता पूर्ण ऋण के संवितरण से पहले ब्याज दर को कम या बढ़ा देता है तो संवितरित /संवितरित होने वाली किश्तों के संदर्भ में लागू ब्याज दर परिवर्तित हो जाएगी।

- ऋण पर ब्याज की अस्थिर दर का अर्थ है कि ब्याज दर ऋणदाता यानी बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की मूल उधार दर (PLR) से सम्बद्ध होती है और बाद में होने वाले परिवर्तनों के साथ बदलती रहती है।
- स्थिर ब्याज दर से तात्पर्य ऐसी दर से है जो ऋण की अवधि के प्रारंभ में स्थिर कर दी जाती है तथा ऋण की पूरी अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहती है, जब तक कि अप्रत्याशित बाजार स्थितियों से प्रभावित न हो।
- ऋण की दोहरी ब्याज दर में स्थिर दर अवधि के लिए स्थिर ब्याज दर होगी जैसा कि इस करार की अनुसूची में निर्धारित किया गया है और उसके बाद ब्याज की अस्थिर दर होगी जो इस करार की अनुसूची में विस्तृत रूप से अस्थिर दर अवधि के लिए बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

के PLR से सम्बद्ध होगी।

(b) ऋणदाता अपने विवेकानुसार ऋण की अवधि के दौरान अपनी नीति, बाजार स्थितियों और/या लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 15 अक्टूबर को या किसी भी समय या समय-समय पर ब्याज दर की समीक्षा करेगा और यदि आवश्यक समझा जाएगा तो उसे पुनर्निर्धारित करेगा। ऋणदाता, उधारकर्ता को ब्याज में परिवर्तन के बारे में यथासमय सूचित करने का प्रयास करेगा।

(c) उधारकर्ता को ब्याज अवधि के शेष भाग के लिए आनुपातिक संशोधित ब्याज का भुगतान करना होगा और उसके बाद प्रत्येक आगामी ब्याज अवधि के लिए तथा जब तक कि ऋणदाता द्वारा ऐसा कोई और संशोधन नहीं किया जाता और सूचित नहीं किया जाता, तब तक उसे भुगतान करना होगा।

(d) उधारकर्ता ऋणदाता को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति या भुगतान करेगा जो ऋणदाता द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा ऋण पर ब्याज (और/या अन्य शुल्क) पर लगाए गए किसी भी कर के कारण केन्द्र या राज्य सरकार को भुगतान की गई हो या देय हो। उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा कहे जाने पर प्रतिपूर्ति या भुगतान करना होगा।

(e) उधारकर्ता को ऋण करार के तहत किए जाने वाले लेन-देन/गतिविधियों/सेवाओं के संबंध में सरकार/किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले सभी करों, प्रभारों, उगाही का भुगतान करना होगा। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि EMI में किसी भी वृद्धिशील कर को बढ़ाया जाएगा, चाहे वह बिक्री कर, उत्पाद शुल्क या किसी अन्य उगाही के रूप में हो, और न ही इस लेनदेन पर भूतलक्षी या भावी प्रभाव से लगाया जाएगा।

2.3 ब्याज़ दर की संगणना: EMI में मूलधन और ब्याज शामिल होता है, जिसकी गणना वार्षिक दरों के आधार पर लागू दर पर की जाती है और उसे अगले रुपये तक *पूर्णांकित* किया जाता है। ब्याज और अन्य प्रभारों की संगणना तीन सौ साठ दिनों के एक वर्ष की साधारण ब्याज पद्धति के आधार पर की जाएगी।

2.4 परिशोधन:

(a) अनुच्छेद 2.2 के अधीन, उधारकर्ता को परिशोधन अनुसूची के अनुसार ऋण का परिशोधन करना होगा। तथापि, किसी भी कारण से किसी भी किश्त के वितरण में देरी या विलंब की स्थिति में, EMI शुरू होने की तारीख उस महीने के बाद वाले महीने का पहला दिन होगी जिसमें ऋण की शृंखला की सभी किश्तें संवितरित की गई होंगी।

(b) उपरोक्त अनुच्छेद 2.4(a) और परिशोधन अनुसूची के बावजूद, ऋणदाता को किसी भी समय या समय-समय पर ऋण या उसकी बकाया राशि की पुनर्भुगतान शर्तों की समीक्षा करने और उन्हें पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा।

हालाँकि, परिशोधन अनुसूची को पुनर्निर्धारित करने से पहले, ऋणदाता उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित करेगा।

(c) उधारकर्ता अपनी इच्छा से ऋणदाता को इस तिथि से प्रत्येक वर्ष अपनी आय का विवरण भेजेगा। तथापि, ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता से किसी भी समय उसके रोजगार, व्यापार, व्यवसाय या पेशे से संबंधित जानकारी/प्रलेख मांग सके और उधारकर्ता को ऐसी जानकारी/प्रलेख तत्काल प्रस्तुत करने होंगे।

(d) ऋणदाता को EMI के संबंध में उपयुक्त उत्तर दिनांकित चेक, EMI की नियत तिथि पर या उसके बाद किसी भी समय अपने बैंक में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

(e) यदि ऋणदाता किसी भी कारण से उत्तर दिनांकित चेक की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले उत्तर दिनांकित चेक जमा नहीं करता है या किसी भी कारण से, पुनर्भुगतान के ECS/SI/ACH/NACH मोड के अनुसार EMI प्राप्त नहीं करता है, तो उधारकर्ता, इस संबंध में ऋणदाता द्वारा अनुरोध के सात (7) दिनों के भीतर, उसी राशि के नए उत्तर दिनांकित चेक वितरित करेगा या ऋणदाता को EMI के बराबर धनराशि के हस्तांतरण के लिए, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करते हुए चेक काटने वाले बैंक को नए निर्देश जारी करेगा कि ताजा उत्तर दिनांकित चेक या ECS/SI/ACH/NACH निर्देश, सम्मानित किए जाते हैं और ऋणदाता को EMI के बराबर राशि प्राप्त होती है।

(f) उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए वैध ECS/SI/ACH/NACH निर्देश प्रदान करने के लिए सहमत है। ऐसे निर्देशों के अभाव में, ऋणदाता को उत्तर दिनांकित चेक एकत्र करने और प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। वैध ECS/SI/ACH/NACH के सक्रिय होने पर या ऋण बंद होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, ऋणदाता अपने विवेकानुसार, उत्तरदिनांकित चेक को नष्ट कर सकता है और उधारकर्ता को इसकी सूचना देगा।

(g) उधारकर्ता ऋणदाता के समक्ष यह वचन देता है कि वह सभी भुगतानों का भुगतान अवश्य करेगा तथा अपने बैंकरों को भुगतान रोकने/उत्तरदिनांकित चेक/ECS /SI/ACH/NACH को रद्द करने का निर्देश नहीं देगा।

उधारकर्ता ECS /SI/ACH/NACH के संबंध में निर्देशों को रद्द नहीं करेगा या ऋणदाता को नियत तिथि पर उत्तरदिनांकित चेक प्रस्तुत करने से रोकने का निर्देश नहीं देगा।

(h) उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए चेक या किसी अन्य लिखत के अनादर के मामले में या जहां उधारकर्ता उसके द्वारा अदाकर्ता बैंक को जारी किए गए SI/ECS/ACH/NACH निर्देशों को रद्द कर देता है या जहां उधारकर्ता द्वारा SI/ECS/ACH/NACH मोड के तहत अदाकर्ता बैंक को निर्देश जारी करने के बावजूद, ऋणदाता को समान मासिक किस्तों के बराबर धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, उधारकर्ता सहमत है और वचन देता है कि वह संबंधित महीने के लिए अतिदेय किस्त का भुगतान करने के लिए ऋणदाता की निकटतम शाखा का दौरा करेगा और ECS/ACH/NACH का नया अधिदेश प्रस्तुत करेगा या उधारकर्ता NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करेगा और ऐसे संबंधित महीने में ऋणदाता को सूचित करेगा; ऐसा न करने पर उधारकर्ता ऐसे प्रत्येक चेक/SI/ECS/ACH/NACH या किसी अन्य अनादरित लिखत के संबंध में नीचे उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क के साथ EMI का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(i) अस्वीकृत चेक, निरस्त ECS /SI/ACH/NACH अनुदेश या उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए ऐसे ECS /SI/ACH/NACH अनुदेश, जिनके बावजूद उधारकर्ता को किसी भी कारण से EMI के बराबर धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या बाउंस चेक/ECS /SI/ACH/NACH के बदले नकद भुगतान करके बदलने के अलावा, उधारकर्ता ऋण की उस किस्त के भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक करार की अनुसूची में उल्लिखित विलंब भुगतान शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा और उधारकर्ता इस संबंध में कानूनी शुल्क सहित उचित लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ऋणदाता, उधारकर्ता को उपरोक्त चेकों या अन्य लिखतों /ECS /SI/ACH/NACH, जैसा भी मामला हो, की प्रस्तुति के संबंध में कोई सूचना, अनुस्मारक या जानकारी नहीं देगा। इससे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के लागू प्रावधानों के तहत ऋणदाता के अधिकार और इस करार के तहत उसके अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उधारकर्ता इस करार के तहत ऋणदाता को देय भुगतान से किसी भी राशि को न तो काटने, न रोकने या न ही उसे बंद करने का हकदार होगा और न ही ऐसा करने के लिए सहमत होगा।

i) ऋण की समान मासिक किस्तों के लिए उधारकर्ता द्वारा जारी किए गए उत्तर-दिनांकित चेक/ECS/SI/ACH/NACH को उधारकर्ता द्वारा अपने विकल्प के अनुसार, किसी अन्य बैंक खाते पर आहरित उत्तर-दिनांकित चेक/ECS/SI/ACH/NACH देकर स्वैप/इंटरचेंज किया जा सकता है, जिसकी राशि स्वैप / इंटरचेंज किए जाने वाले समान मासिक किस्तों की संख्या के बराबर होगी, जो प्रति स्वैप स्वैप-शुल्क ("स्वैप-शुल्क") के भुगतान के अधीन होगा, जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उधारकर्ता को सूचित किया जा सकता है। इस संबंध में होने वाली कोई भी लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

j) उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि वह ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर-दिनांकित चेक को जमा न करने का कोई निर्देश नहीं देगा।

उधारकर्ता यह भी वचन देता है कि समान मासिक किस्तों के भुगतान के लिए ECS/SI/ACH/NACH मोड में भाग लेने के लिए उसकी/उनकी सहमति, ऋणदाता के अनुमोदन के बिना इस करार की अवधि के दौरान रद्द नहीं की जाएगी। यदि उधारकर्ता इस ECS/SI/ACH/NACH मोड में भाग लेने के लिए अपनी सहमति रद्द करता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसा ऋणदाता को धोखा देने के लिए किया गया है और उधारकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 और उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा।

k) यदि ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई कोई राशि उधारकर्ता के परिसमापन या प्रशासन या अन्यथा के लिए टाल दी जाती है या अलग रख दी जाती है, तो इस करार के प्रयोजन के लिए ऐसी राशि को तब भुगतान किया गया नहीं माना जाएगा जब ऐसा भुगतान वापस कर दिया जाता है या ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता या किसी अन्य दावेदार को वापस करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

2.5 EMI के भुगतान में देरी:

(a) उधारकर्ता को नियत तिथि पर नियमित रूप से EMI का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी। EMI का शीघ्र एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित करना पूर्णतः उधारकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

(b) EMI के भुगतान में देरी होने पर उधारकर्ता को इस करार की अनुसूची में उल्लिखित विलंबित भुगतान शुल्क का भुगतान करना होगा।

ऐसी स्थिति में उधारकर्ता को ऋणदाता को आकस्मिक शुल्क और लागत का भुगतान भी करना होगा।

(c) उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि इस करार के तहत प्रदान किया गया ऋण वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है और वह इसके द्वारा ब्याज वसूलने से संबंधित सूदखोरी या अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध किसी भी बचाव को स्पष्ट रूप से छोड़ देता है।

2.6 पूर्व भुगतान:

(a) ऋणदाता अपने पूर्ण विवेकाधिकार से तथा निर्धारित नियमों व शर्तों पर, जिसमें अनुसूची में निर्दिष्ट पूर्वभुगतान प्रभारों का भुगतान शामिल है, परंतु उस तक सीमित नहीं है, उधारकर्ता के अनुरोध पर EMI में तेजी लाने या ऋण के पूर्वभुगतान की अनुमति दे सकता है। बशर्ते कि ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई परिक्रामी सुविधा के मामले में, उधारकर्ता, ऋणदाता की पूर्व सहमति से और ऋणदाता द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, किसी भी उपयोग की मूल राशि का बिना किसी पूर्वभुगतान शुल्क के पूर्वभुगतान कर सकता है।

(b) ऋणदाता किसी भी परिस्थिति में पूर्वभुगतान शुल्क माफ नहीं करेगा। ऋणदाता अपने विवेकानुसार ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय और समय-समय पर अपनी नीति के अनुसार पूर्वभुगतान शुल्क को संशोधित करने का हकदार होगा। ऋणदाता समय पर पूर्वभुगतान प्रभारों में परिवर्तन के बारे में उधारकर्ता को सूचित करने का प्रयास करेगा।

(c) पूर्व भुगतान केवल इस करार की शर्तों और नियमों के अनुसार तथा EMI प्रारंभ होने की नियत तिथि पर किया जाएगा।

यदि उधारकर्ता संबंधित EMI के प्रारंभ होने की नियत तिथि से पहले ऋणदाता को कोई राशि का भुगतान करता है, तो ऋणदाता उसे उस तरीके से विनियोजित करने का हकदार होगा जैसा वह उचित समझे, और ऐसी राशि के भुगतान के संबंध में ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को संबंधित EMI के प्रारंभ होने की नियत तिथि पर ही क्रेडिट दिया जाएगा। इस ऋण के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता को उपलब्ध रिवाल्विंग ऋण व्यवस्था के अलावा पूर्व भुगतान की गई कोई भी राशि पुनः उधार नहीं ली जा सकती है।

2.7 संवितरण की समापन तिथियां: यदि ऋण स्वीकृति पत्र की तारीख से छह (6) महीने के भीतर या ऐसी अन्य तारीख के भीतर, जैसा कि ऋणदाता समय-समय पर निर्धारित कर सकता है, ऋण को पूरी तरह से नहीं निकाला गया हो, तो इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, ऋणदाता उधारकर्ता को नोटिस देकर ऋण को निलंबित या रद्द कर सकता है।

ऋणदाता बिना कोई कारण बताए ऋण सुविधा अथवा उसके किसी भाग को को रोकने तथा/अथवा रद्द करने अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. 8 समान मासिक किस्तों में परिवर्तन और पुनर्निर्धारण:

उपरोक्त अनुच्छेद 2.7 पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, यदि उधारकर्ता द्वारा स्वीकृति पत्र की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर ऋण नहीं लिया जाता है, तो EMI को ऐसे तरीके से और ऐसी सीमा तक परिवर्तित और पुनर्निर्धारित किया जा सकता है जैसा कि ऋणदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से तय कर सकता है और ऋण का परिशोधन नई परिशोधन अनुसूची के अनुसार होगा, भले ही अनुसूची या किसी पहले की परिशोधन अनुसूची में कोई विपरीत बात शामिल हो।

2.9 उधारकर्ताओं की देयता संयुक्त और पृथक होगी: यदि एक से अधिक उधारकर्ता हैं, तो उधारकर्ता इस बात पर सहमत हैं कि ऋण का परिशोधन करने तथा इस करार और/या किसी अन्य करार और दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने का उधारकर्ता का दायित्व संयुक्त और पृथक है, जो इस ऋण या किसी अन्य ऋण या ऋणों के संबंध में उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता के साथ किया गया हो या किया जा सकता है।

2.10 लागू कानून के अधीन, उधारकर्ता द्वारा किसी योजना को चुनने या अपने नियोक्ता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, जो सेवानिवृत्ति से पहले नौकरी से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने के लिए कोई लाभ प्रदान करता है, या नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से उसकी नौकरी समाप्त करने पर या उधारकर्ता द्वारा किसी भी कारण से नियोक्ता की सेवा से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर, इस करार या किसी पत्र या प्रलेख में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, ऋण की पूरी बकाया मूल राशि और साथ ही उस पर कोई भी बकाया ब्याज और अन्य देय राशि, उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को ऐसी योजना या प्रस्ताव के तहत नियोक्ता से प्राप्त होने वाली राशि या किसी भी सेवांत लाभ, जैसा भी मामला हो, में से देय हो जाएगी। बशर्ते कि, यदि उक्त राशि ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए अपर्याप्त है, तो ऋणदाता को देय शेष अप्रदत्त राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि उधारकर्ता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से तय करेगा और उधारकर्ता द्वारा, अनुच्छेद 2.4 और अनुसूची और/या परिशोधन अनुसूची में बताई गई किसी भी बात के बावजूद, भुगतान तदनुसार किया जाएगा। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, उधारकर्ता ऋणदाता को अपने नियोक्ता से सीधे आवेदन करने, उससे संवाद करने और उक्त राशि प्राप्त करने के लिए अप्रतिसंहरणीय रूप से अधिकृत करता है।

2.11 ऋणदाता द्वारा उधार वापस लेना:

a. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता किसी भी कारण से ऋण को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस मांग सकता है, जिसमें जोखिम की

धारणा में परिवर्तन, ऋण राशि का स्वीकृत ऋण सीमा तक पहुँच जाना या उससे अधिक हो जाना, उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में ऋणदाता द्वारा गणना/पुनर्गणना के कारण परिवर्तन होना या यदि किसी भी समय ऋणदाता के लिए इस करार के अनुसार अपने किसी भी दायित्व को पूरा करना या ऋण में अपनी भागीदारी को वित्तपोषित करना या बनाए रखना गैरकानूनी हो जाता है या हो जाएगा और ऐसी परिस्थितियों में जहां ऋणदाता द्वारा ऋण वापस मांगने/उपलब्ध प्रतिभूति/संपार्श्विक को बढ़ाने की मांग की जाती है, उधारकर्ता, यदि अनुमति हो, तो ऋण राशि के विरुद्ध पर्याप्त संपार्श्विक/प्रतिभूति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उस दिन प्रभावी अनुमत प्रतिभूतियों की सूची में से प्रतिभूतियां प्रदान कर सकता है।

b. उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता अपने विवेकानुसार ऋण वापस ले सकता है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक ऋण के लिए चुकौती कार्यक्रम ऋणदाता के ऋण या संपूर्ण ऋण के तहत भुगतान की गई राशि को वापस लेने और ऋण शेष (शेषों) के तहत ऋणदाता को देय राशि के भुगतान की मांग करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

c. नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, या यदि कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, तो ऋण निरस्त हो जाएगा और ऋण के तहत देय सभी राशियां, जैसा भी मामला हो, उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को तुरंत चुकाने योग्य हो जाएंगी और प्रतिभूति प्रदाता द्वारा प्रदान की गई कोई भी प्रतिभूति तुरंत लागू हो जाएगी।

अनुच्छेद-3: परिस्थिति के मिसाल

3.1 ऋण या उसकी किसी श्रृंखला के संवितरण के लिए निम्नलिखित पूर्व शर्तें होंगी:

स्वत्वाधिकार: उधारकर्ता के पास संपत्ति और उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य प्रतिभूति पर पूर्ण, स्पष्ट और बिक्री योग्य हक होगा और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति और इसके तहत प्रदान की गई कोई भी अन्य संपार्श्विक पूरी तरह से भारमुक्त और किसी भी देयता और पूर्व प्रभार से मुक्त है।

उधारकर्ता को प्रतिभूति की विषय-वस्तु वाली संपत्ति के स्पष्ट, विपणन योग्य और भारमुक्त स्वामित्व का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.2 संवितरण हेतु अन्य शर्तें: इस करार के तहत ऋण या उसकी किसी भी श्रृंखला का वितरण करने के लिए ऋणदाता का दायित्व भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(a) चूक की घटना किसी भी प्रकार की चूक की घटना नहीं घटित होगी।

(b) संवितरण के उपयोग का साक्ष्य: ऋण और/या उसके किसी भी हिस्से का संवितरण, अनुरोध के समय, जैसा कि ऋण आवेदन में कहा गया है, उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता के एकमात्र और अनन्य उद्देश्य के लिए तत्काल अपेक्षित होगा, और उधारकर्ता ऋण या उसके किसी भी श्रृंखला के संवितरण की आय के प्रस्तावित उपयोग का ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जो ऋणदाता के लिए संतोषजनक हो।

(c) असाधारण परिस्थितियाँ: ऐसी कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए जिससे उधारकर्ता के लिए इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव हो जाए।

(d) लंबित विधिक कार्यवाही: उधारकर्ता को इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा कि उधारकर्ता द्वारा या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय या सरकारी प्राधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्रवाई, वाद, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है या उधारकर्ता की जानकारी में ऐसा कोई खतरा नहीं है, जिसका उधारकर्ता के वित्तीय और अन्य मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो या जो इस करार या इसके किसी नियम व शर्तों की वैधता या निष्पादन पर प्रश्नचिह्न लगा सकता हो।

(e) इस आशय की घोषणा/उपक्रम कि उधारकर्ता के पास इस करार के तहत सुरक्षा के रूप में पेश की जाने वाली संपत्ति/किसी अन्य प्रतिभूति पर स्पष्ट और विपणनयोग्य अधिकार है, जो उचित संदेहों और बाधाओं से मुक्त है और उधारकर्ता किसी भी जोखिम के खिलाफ ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा और आगे यह पुष्टि करता है कि ऋण लेने या ऋण करार के तहत दायित्वों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिभूति प्रदान करने से किसी भी उधार लेने, प्रतिभूति प्रदान करने या उस पर बाध्यकारी समान सीमा का उल्लंघन नहीं होगा। उधारकर्ता को यह भी पुष्टि करनी होगी कि पिछले वित्तीय वर्ष की तारीख से उधारकर्ता के व्यवसाय, स्थिति (वित्तीय या अन्यथा), संचालन, प्रदर्शन, संपत्ति या भविष्यलक्षी प्रभाव में कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है।

(f) उधारकर्ता को ऋण की राशि के लिए ऋणदाता के पक्ष में एक मुद्रा बांड या मांग वचन पत्र निष्पादित और सुपुर्द करना होगा।

(g) उधारकर्ता को अपनी लागत और व्यय पर संपत्ति के संबंध में एक व्यापक और समग्र बीमा पॉलिसी या ऋणदाता द्वारा अपेक्षित कोई अन्य बीमा पॉलिसी प्राप्त करनी होगी। बीमा पॉलिसी या तो संपत्ति के संरचनात्मक मूल्य और अन्य प्रतिभूति या ऋण, जो भी कम हो, की रक्षा करने वाली राशि के लिए होगी। उधारकर्ता को बीमा पॉलिसी पर ऋणदाता का धारणाधिकार (हानि आदाता के रूप में) अंकित करवाना होगा, जिससे यह पुष्टि होगी कि पॉलिसी की आय पर पहला दावा ऋणदाता का होगा तथा उक्त पॉलिसी की एक सत्य प्रतिलिपि ऋणदाता को प्रस्तुत करनी होगी।

(h) उधारकर्ता को अपने नवीनतम लेखापरीक्षित और अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी।

(i) यदि ऋणदाता ऐसा चाहे, तो उधारकर्ता को ऋणदाता की संतुष्टि के लिए गारंटी प्राप्त करनी होगी।

ऋणदाता के इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस करार के अनुसार सभी प्रथम पूर्व शर्तें विधिवत पूरी कर ली गई हैं तथा संबंधित प्रथम पूर्व शर्तों के पूरा होने के साक्ष्य स्वरूप संबंधित प्रलेख प्राप्त हो जाने पर, ऋणदाता अपने पूर्ण विवेक से, ऋण की श्रृंखला / राशि को उधारकर्ता के खाते में या संवितरण अनुरोध में उल्लिखित किसी खाते में संवितरित कर सकता है।

(j) ।LO अभिसमयों, ESG जोखिम मूल्यांकन और नैतिक मानकों का अनुपालन: उधारकर्ता इसके द्वारा सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (।LO) अभिसमयों का पालन करने और अपने संचालन से जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक, श्रम और स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों का संपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उधारकर्ता को सभी नैतिक, विधिक और विनियामक मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा किसी भी उल्लंघन या कदाचार का पता लगाने, उसे रोकने और उसका जवाब देने के लिए सक्रिय उपाय करने होंगे।

उधारकर्ता यह भी आश्वासन देता है कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है, न ही होगा जो ऋणदाता की नीतियों द्वारा बहिष्कृत है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली, पर्यावरणीय स्थिरता से करार करने वाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली, या मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

अनुच्छेद - 4: संपत्ति हित

4.1 उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋण का परिशोधन, ब्याज, शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, दंडात्मक शुल्क, नकारे गए चेक शुल्क, भारतीय प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (CERSAI) और कंपनी रजिस्ट्रार (ROC) द्वारा संपार्श्विक पर प्रतिभूति बनाने के लिए शुल्क (जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है), और इस करार या किसी अन्य करार के तहत देय व्यय और अन्य सभी राशियां, संपत्ति पर, साथ ही उस पर निर्मित/निर्मित की जाने वाली सभी वर्तमान और भविष्य की संरचनाएं और उधारकर्ता की ऐसी अन्य संपत्तियां और परिसंपत्तियां, जिनकी ऋणदाता को

आवश्यकता हो, ऋणदाता को स्वीकार्य तरीके से ऋणदाता के पक्ष में बंधक के माध्यम से पहले और अनन्य शुल्क द्वारा सुरक्षित की जाएंगी।

4.2 यदि ऋणदाता द्वारा अपेक्षित हो तो ऋण लेने वाला, ऋण, ब्याज, शुल्क, प्रतिबद्धता प्रभार, लागत, प्रभार और व्यय तथा इस करार के अंतर्गत ऋणदाता को देय अन्य सभी राशियों के पुनर्भुगतान और भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, यहां संलग्न प्रारूप में किसी तीसरे पक्ष ("गारंटर") से बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय गारंटी (वैयक्तिक/निगमीय) भी प्राप्त करेगा।

4.3 ऋणदाता को अपने विवेकानुसार ऋण और अन्य सभी राशियों को सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता द्वारा बनाए जाने वाले बंधक या किसी अन्य सुरक्षा और/या अतिरिक्त सुरक्षा (सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के 100% शेयरों की प्रतिज्ञा और/या सभी साझेदारी हितों पर बंधक के रूप में प्रभार, यानी वर्तमान और भविष्य की साझेदारी का अधिकार, स्वत्वाधिकार और संबंधित भागीदारों के हित, जैसा भी मामला हो, ऋणदाता को स्वीकार्य हो) के प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार होगा और उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा आवश्यक होने पर इसे प्रमाणित करने वाले प्रलेखों को बनाने और विधिवत निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा। उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि संपत्ति के संबंध में अनुच्छेद 6 में निर्धारित व्यपदेशन व वारंटी, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अनुच्छेद 4.3 के अनुसार प्रदान की गई किसी भी संपार्श्विक पर लागू होंगे और इस अनुच्छेद 4.3 के अनुसार प्रदान की गई किसी भी प्रतिभूति के संबंध में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई मानी जाएंगी।

4.4 उधारकर्ता को ऋण की जमानत के लिए बॉण्ड या वचन पत्र तथा ऐसे अन्य प्रलेख, मुख्तारनामा और करार निष्पादित करने होंगे, जिनकी ऋणदाता द्वारा आवश्यकता हो।

4.5 ऋणदाता द्वारा मांग किए जाने पर उधारकर्ता और/या गारंटीकर्ता से अब अलग से ली गई या भविष्य में ली जाने वाली कोई भी प्रतिभूति इस करार के तहत प्रतिभूतियां मानी जाएंगी। ऋणदाता, उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, अपने हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त/वैकल्पिक स्वीकार्य प्रतिभूति(यों) की मांग करेगा, जो इस करार के तहत प्रस्तावित प्रतिभूति का हिस्सा होंगी।

4.6 उधारकर्ता ऋणदाता को स्वीकार्य तरीके और रूप में ऐसी अन्य प्रतिभूतियाँ प्रदान करने का वचन देता है और ऋणदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उन्हें प्रस्तुत करेगा।

4.7 उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि उधारकर्ता द्वारा चूक किए जाने या इस करार के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा प्राप्त/वसूली गई धनराशि अपर्याप्त होने की स्थिति में, उधारकर्ता को किसी भी ऐसे रूप, मूल्य और तरीके से, जैसा भी वह उचित समझे, जो उधारकर्ता के लिए संतोषजनक हो, सभी/किसी भी प्रतिभूति की मांग करने और उसे लागू करने की स्वतंत्रता होगी,। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि उधारकर्ता को इससे संबंधित सभी लागतों और खर्चों को वहन करना होगा, जिसमें अतिरिक्त प्रतिभूति का सृजन, स्वामित्व संबंधी जांच आदि शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

4.8 यहां प्रदान की गई प्रतिभूतियां उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में सतत प्रतिभूतियां मानी जाएंगी। प्रतिभूतियों को तब तक उन्मोचित/निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऋण के संबंध में सभी बकाया राशि का ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता है और जब तक कि ऋणदाता उधारकर्ता और/या गारंटीकर्ता को लिखित रूप में किसी प्रतिभूति के संबंध में उन्मोचन देने के लिए सहमति नहीं देता है।

4.9 उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और सहमत है कि उधारकर्ता द्वारा देय राशि के विरुद्ध किसी भी तरीके से उधारकर्ता के कब्जे में आने वाली किसी भी धनराशि पर उधारकर्ता के पास धारणाधिकार का अधिभावी अधिकार होगा और उधारकर्ता देय राशि को समायोजित करने का हकदार होगा।

4.10 उधारकर्ता को विधि में यह तर्क देने से रोका जाएगा कि ऋणदाता के कब्जे/अभिरक्षा में धनराशि इस करार के तहत ऋणदाता के वाद हेतुक बाहर के लेनदेन के अनुसार है।

4.11 धारणाधिकार का अधिकार सभी देनदारियों के विरुद्ध अभ्यास योग्य होगा, चाहे ऐसी देनदारियां वास्तविक हों या आकस्मिक, प्राथमिक हों या संपार्श्विक, अनेक हों या संयुक्त तथा ऐसा अधिकार उधारकर्ता और/या गारंटीकर्ता की मृत्यु सहित किसी भी कारण से प्रभावित नहीं होगा।

4.12 यदि ऋणदाता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, उधारकर्ता और/या गारंटीकर्ता ऐसे किसी भी करार /समझौतों, प्रलेखों, वचनपत्रों को कार्यान्वित करेंगे, जिनकी आवश्यकता अब या भविष्य में ऋण की अवधि के दौरान या ऋणदाता द्वारा दिए गए किसी अन्य ऋण या ऋणों के लिए किसी भी समय हो सकती है।

अनुच्छेद-5: उधारकर्ता की प्रसंविदा

5.1 **उधारकर्ता की सकारात्मक प्रसंविदायें:** उधारकर्ता ऋणदाता के साथ यह प्रसंविदा रखता है कि ऋण की अवधि के दौरान और ऋण के पूर्णतः चुक जाने तक:

(a) उधारकर्ता ऋण का उपयोग अपने ऋण आवेदन/अंतिम उपयोग पत्र में बताए गए उद्देश्यों के लिए करेगा तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा। उधारकर्ता इस बात पर भी सहमत है कि ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा बताए गए अंतिम उपयोग की निगरानी करने या लेखा परीक्षा करने का अधिकार है, जिसमें उधारकर्ता के लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षकों को अलग से अधिदेश देने का अधिकार भी शामिल है।

(b) उधारकर्ता संपत्ति को अच्छी स्थिति में रखेगा और ऋण का पूर्ण रूप से परिशोधन होने तक उसमें सभी आवश्यक सुधार करेगा;

(c) उधारकर्ता को अपने रोजगार, व्यवसाय या पेशे में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऋणदाता को सात (7) दिनों के भीतर देनी होगी।

(d) उधारकर्ता को संपत्ति रखने के लिए सभी नियमों और शर्तों तथा संबंधित सहकारी समिति, संघ या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के सभी नियमों, विनियमों, उप-नियमों आदि का विधिवत और समय पर पालन करना होगा और संपत्ति के रखरखाव के लिए ऐसे रखरखाव और अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा, साथ ही संपत्ति या उसके उपयोग के संबंध में देय किसी भी अन्य बकाया राशि आदि का भी भुगतान करना होगा;

(e) उधारकर्ता को सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का विधिवत और उचित तरीके से सभी जोखिमों जैसे भूकंप, आग, बाढ़, विस्फोट, तूफान, चक्रवात, नागरिक उपद्रव आदि के खिलाफ बीमा कराया जाए, जो ऋणदाता को स्वीकार्य हो, तथा ऋणदाता पॉलिसी/पॉलिसियों के तहत एकमात्र लाभार्थी हो और समय-समय पर इसका साक्ष्य स्वयं ऋणदाता को प्रस्तुत करना होगा। उधारकर्ता को किस्त राशि का भुगतान शीघ्रता से और नियमित रूप से करना होगा ताकि ऋण का पूर्ण रूप से परिशोधन होने तक पॉलिसी/पॉलिसियों को हर समय चालू रखा जा सके;

(f) उधारकर्ता किसी भी कारण से संपत्ति को होने वाली किसी भी भौतिक हानि/क्षति के बारे में ऋणदाता को तुरंत सूचित करेगा; उधारकर्ता उस संपत्ति या संपत्ति के उपयोगकर्ता में किसी भी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा और उसका विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसे ऋण के लंबित रहने के दौरान उधारकर्ता बनाने का प्रस्ताव रखता है;

(g) उधारकर्ता को लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार सभी नगरपालिका करों, भूमि किराया और ऐसे अन्य नगरपालिका और स्थानीय शुल्कों का भुगतान करना होगा;

(h) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो उसे ऋणदाता के पक्ष में सृजित ऋणभार को सृजित ऋणभार के सृजन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास उचित रूप में पंजीकृत करना होगा;

(i) यदि उधारकर्ता व्यक्ति के अलावा कोई अन्य है, तो वह ऋणदाता या उसके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपने खातों की पुस्तकों और ऐसे अन्य दस्तावेजों, कागजात और अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा, जिन्हें ऋणदाता द्वारा उचित और उचित समझा जा सकता है;

(j) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो उसे अनुसूची में उल्लिखित स्तरों पर कर्ज़ इक्विटी अनुपात और चालू अनुपात का निर्वहन करना होगा;

(k) यदि उधारकर्ता व्यक्ति के अलावा कोई अन्य है, तो उसे अपने कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के स्थान, नाम, उधारकर्ता के मुख्य व्यावसायिक कार्यकलाप में परिवर्तन के बारे में ऋणदाता को तुरंत सूचित करना होगा।

(l) उधारकर्ता इस बात पर सहमत होता है और वचनबद्ध होता है कि वह ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करेगा जिसके लिए ऋणदाता द्वारा ऋण संस्वीकृत किया गया था और वह ऋण का उपयोग किसी भी अवैध, असामाजिक, सट्टा उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा, जिसमें शेयर बाजार/IPOs में भागीदारी शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक परिसीमित नहीं है।

(m) उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋणदाता को दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 3 (13) में परिभाषित 'वित्तीय जानकारी' को उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों/नियमों के साथ पठित, जैसा कि समय-समय पर संशोधित और लागू है और जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है, ऋण के संबंध में, दिवालियापन और दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 3 (21) में परिभाषित किसी भी 'सूचना उपयोगिता' को उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर बैंकों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट सहमति देता है और एतद्द्वारा संबंधित सूचना उपयोगिता द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत 'वित्तीय जानकारी' को तुरंत अधिप्रमाणित करने के लिए विशेष रूप से सहमत होता है।

(n) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो वह अपने बोर्ड में किसी ऐसी कंपनी के प्रमोटर या निदेशक को शामिल नहीं करेगा जो जानबूझकर चूककर्ता है या उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा, जिसे समय-समय पर RBI और/या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जानबूझकर चूककर्ता के रूप में पहचाना गया है या यदि उधारकर्ता के बोर्ड में जानबूझकर चूककर्ता का प्रमोटर या निदेशक है या उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति जानबूझकर चूककर्ता है, तो ऐसा उधारकर्ता, इसके बारे में पता चलने पर तुरंत ऐसे व्यक्ति को अपने बोर्ड या प्रबंधन से हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगा।

5.2 **नकारात्मक प्रसंविदा:** उधारकर्ता ऋणदाता के साथ यह प्रसंविदा रखता है कि जब तक ऋणदाता अन्यथा सहमत न हो:

(a) उधारकर्ता संपत्ति या उसके किसी भाग को किराये पर नहीं देगा या किसी अन्य तरीके से उस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा;

(b) उधारकर्ता इस करार के तहत प्रदान की गई संपत्ति या किसी अन्य प्रतिभूति या उसके किसी भाग को नहीं बेचेगा, गिरवी नहीं रखेगा, बंधक नहीं रखेगा, पट्टे पर नहीं देगा, समर्पण नहीं करेगा, मोचन नहीं करेगा या अन्यथा किसी भी तरह से हस्तांतरित या ऋणभारग्रस्त (इस करार के तहत बनाए गए प्रभार को छोड़कर) नहीं करेगा;

(c) उधारकर्ता किसी व्यक्ति, संस्था या स्थानीय निकाय या सरकारी निकाय के साथ संपत्ति या उसके किसी भाग के उपयोग, कब्जे या निपटान के लिए तब तक कोई करार या व्यवस्था तब तक नहीं करेगा जब तक ऋण का परिशोधन नहीं हो जाता है और ऋणदाता द्वारा उसके पक्ष में शून्य देयता प्रमाण पत्र जारी नहीं कर दिया जाता है;

(d) उधारकर्ता संपत्ति के उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यदि संपत्ति का उपयोग आवासीय उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ऋणदाता, किसी अन्य कार्रवाई के अलावा, जिसे ऋणदाता लेने का विकल्प चुन सकता है, अपने विवेकानुसार, ऐसी उच्च ब्याज दर वसूलने का हकदार होगा, जैसा कि वह परिस्थितियों में तय कर सकता है;

(e) उधारकर्ता अपनी संपत्ति को किसी अन्य आसन्न संपत्ति के साथ विलय या संयोजित नहीं करेगा और न ही वह संपत्ति पर कोई मार्गाधिकार या कोई अन्य सुखाधिकार बनाएगा;

(f) उधारकर्ता, इस करार के अनुसार प्रदान की गई किसी भी गारंटी को छोड़कर, किसी के लिए ज़मानत नहीं देगा या किसी ऋण की अदायगी या किसी आस्ति के खरीद मूल्य की गारंटी नहीं देगा;

(g) उधारकर्ता, ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति से कोई अतिरिक्त राशि उधार नहीं लेगा।

(h) यदि उधारकर्ता एक कंपनी या साझेदारी फर्म है, तो उधारकर्ता ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के संविधान, प्रबंधन या मौजूदा स्वामित्व या नियंत्रण या शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करेगा;

(i) यदि उधारकर्ता एक फर्म है, तो उधारकर्ता ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना साझेदारी को भंग नहीं करेगा या उसमें नए साझेदारों को शामिल नहीं करेगा;

(j) यदि उधारकर्ता एक कंपनी या साझेदारी फर्म है, तो उधारकर्ता ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय के साथ पुनर्निर्माण या व्यवस्था या विलय या समामेलन या किसी साझेदारी में प्रवेश नहीं करेगा।

अनुच्छेद-6: उधारकर्ता का व्यपदेशन और वारंटी

6.1 उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता को वारंट व्यापदेशित और निम्नानुसार उपक्रम करता है:

(a) उधारकर्ता ऋणदाता को दिए गए अपने ऋण आवेदन में दी गई जानकारी की सटीकता तथा इस संबंध में ऋणदाता को दी गई किसी भी पूर्व या बाद की जानकारी या व्याख्या की पुष्टि करता है।

(b) कि उक्त ऋण आवेदन के पश्चात् कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जो ऋण के उद्देश्य या ऋण आवेदन में प्रस्तावित ऋण अनुदान को प्रभावित करेगा।

(c) कि सम्पूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग पर कोई बंधक, ऋणप्रभार, लिस-पेंडेंस या धारणाधिकार या अन्य भार या मार्ग, प्रकाश या जल या अन्य सुखाधिकार या समर्थन का अधिकार नहीं है।

(d) कि उधारकर्ता किसी भी भौतिक प्रकृति के मुकदमे में पक्षकार नहीं है और उधारकर्ता को ऐसे किसी तथ्य की जानकारी नहीं है जिससे उधारकर्ता के विरुद्ध ऐसे मुकदमे या भौतिक दावों के उत्पन्न होने की संभावना हो।

(e) यह कि उधारकर्ता को किसी ऐसे प्रलेख, निर्णय या विधिक प्रक्रिया या अन्य आरोपों के बारे में जानकारी नहीं है, जिसमें संपत्ति के स्वामित्व को प्रभावित करने वाले किसी गुप्त या प्रत्यक्ष दोष या संपत्ति या उसके स्वामित्व में किसी भौतिक दोष का उल्लेख हो, जो अज्ञात रहा हो और/या जो ऋणदाता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(f) उधारकर्ता की संपत्ति केन्द्र/राज्य सरकार या सुधार ट्रस्ट या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण की किसी योजना में शामिल या प्रभावित नहीं है या केन्द्र/राज्य सरकार या किसी निगम, नगर पालिका समिति, ग्राम पंचायत आदि की किसी योजना के तहत सड़क के किसी संरेखण, चौड़ीकरण या निर्माण से प्रभावित नहीं है।

(g) ऋणदाता के पास बंधक रखी जाने वाली संपत्ति के संबंध में नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है और न ही

उधारकर्ता को नगरपालिका अधिनियम या स्थानीय निकायों या ग्राम पंचायतों या स्थानीय प्राधिकारियों से संबंधित किसी अधिनियम या ऐसे किसी अधिनियम के तहत किसी अन्य प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कोई सूचना दी गई है।

(h) यह कि उधारकर्ता ने अपनी संपत्ति से संबंधित सभी तथ्य ऋणदाता को बता दिए हैं तथा अपने कब्जे में मौजूद स्वत्व विलेख सहित सभी सम्बद्ध हक दस्तावेज़ उन्हें उपलब्ध करा दिए हैं।

(i) कि उधारकर्ता ने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी सार्वजनिक मांगों जैसे आयकर और अन्य सभी करों और राजस्व का भुगतान कर दिया है और वर्तमान में ऐसे करों और राजस्व का कोई बकाया नहीं है।

(j) उधारकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह समय-समय पर लागू, यहाँ संदर्भित ऋणदाता के नियमों से स्वयं को अवगत रखे।

लागू कानूनों/नियमों/विनियमों/बाजार बलों में परिवर्तन के अनुसार प्रभार अनुसूची करार की शर्तों में कोई भी परिवर्तन शाखा के पास उपलब्ध होगा और हमारी वेबसाइट www.bnfl.in पर भी प्रकाशित किया जाएगा।

अनुच्छेद-7: चूक की घटनाएँ और ऋणदाता के लिए उपलब्ध उपचार

7.1 यदि चूक की एक या अधिक घटनाएं घटित होती हैं, तो ऋणदाता, उधारकर्ता को लिखित नोटिस द्वारा ऋण पर मूलधन और सभी ऐसे उपार्जित ब्याज तथा प्रभारों की देयता की घोषणा कर सकता है, जो इस करार के अंतर्गत या इसके अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय होंगे और/या उधारकर्ता और उधारकर्ता के बीच विद्यमान किसी अन्य करार, दस्तावेज, साथ ही अन्य सभी प्रभार और बकाया राशि और ऐसी घोषणा के बाद वे तुरंत देय हो जाएंगे और ऋण तथा अन्य ऋणों के संबंध में प्रतिभूति लागू करने योग्य हो जाएगी, भले ही इस करार या किसी अन्य करार या दस्तावेज में इसके विपरीत कुछ भी हो। यदि उस तिथि तक कोई राशि/ऋण संवितरित नहीं होता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

7.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि चूक की घटना घटित होने पर, ऋणदाता इस करार के अनुसरण में सृजित किसी भी प्रतिभूति को किसी भी क्रम में, जिसे वह उचित समझेगा, लागू कर सकता है।

7.3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, जब तक चूक की घटना जारी रहती है, ऊपर उल्लिखित चूक की घटना की तारीख से लेकर जब तक कि चूक की ऐसी घटना (घटनाओं) का सुधार नहीं हो जाता है और उसके संबंध में ऋणदाता को अंतिम भुगतान नहीं कर दिया जाता है, ऋणदाता के लिए उपलब्ध उपायों या चूक की घटनाओं के परिणामों पर किसी भी पूर्वाग्रह के बिना, उधारकर्ता को चूक की गई राशि पर अनुसूची में उल्लिखित अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान करते रहना होगा।

7.4 उपरोक्त अनुच्छेद 7.1 के तहत ऋणदाता को प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चूक की घटना घटित होने पर, ऋणदाता के पास किसी भी विधि के तहत ज़मानती लेनदारों को प्रदत्त सभी अधिकार होंगे, जिसमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 या उसका कोई संशोधन या पुन: अधिनियमन शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

7.5 चूक की घटना होने पर ऋणदाता को नोटिस: यदि कोई चूक की घटना या कोई घटना, जो नोटिस के बाद या समय बीत जाने के बाद या दोनों के बाद चूक की घटना मानी जाती है, घटित हुई है, तो उधारकर्ता तुरंत लिखित रूप में ऋणदाता को ऐसी चूक की घटना या ऐसी घटना को निर्दिष्ट करते हुए इसकी सूचना देगा।

7.6 उधारकर्ता की आस्तियों के संरक्षण और वसूली का व्यय:

चूक की घटना घटित होने के बाद ऋणदाता द्वारा निम्नलिखित के संबंध में किए गए सभी उचित खर्च:

(a) उधारकर्ता की आस्तियों का संरक्षण (चाहे वे वर्तमान में हों या भविष्य में हों); या

(b) इस करार के तहत देय राशि की वसूली का प्रभार उधारकर्ता से लिया जा सकता है और ऋणदाता को वैसे प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जैसे ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट हो।

7.7 प्रमाण पत्र जारी करना: ऋणदाता इस करार के अनुसार उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को भुगतान की गई किसी भी राशि के भुगतान के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र तभी जारी कर सकता है जब उधारकर्ता ने इस करार के तहत ऋणदाता को देय सभी राशि का भुगतान कर दिया हो और उधारकर्ता ने इस करार की सभी शर्तों का पालन किया हो।

7.8 अन्य पक्षकार के साथ संचार: चूक की घटना घटित होने पर, ऋणदाता किसी भी तरीके से, जिसे वह उचित समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से संपर्क करने का हकदार होगा, ताकि चूक की गई राशि की वसूली में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता प्राप्त की जा सके, जिसमें उधारकर्ता की संपत्ति और/या कार्यस्थल का दौरा करना शामिल है, परंतु यह उस तक ही परिसीमित नहीं है।

7.9 उपयुक्त प्राधिकारियों को नामों का खुलासा: ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दिए गए ऋण की पूर्व शर्त के रूप में उधारकर्ता इस बात पर सहमत होता है कि यदि उधारकर्ता ऋण की अदायगी या उस पर ब्याज की अदायगी या ऋण की किसी भी सहमत किस्त की अदायगी में नियत तिथि/तिथियों पर चूक करता है, तो ऋणदाता को उधारकर्ता और/या गारंटीकर्ता, जैसा भी मामला हो, का नाम चूककर्ता के रूप में, ऐसी रीति से और ऐसे माध्यम से, जैसा ऋणदाता अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7.10 बकाया राशि की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया: (a) उधारकर्ता द्वारा देयताओं की चुकौती नहीं करने पर, बिजनेस नेक्स्टजेन फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को उधारकर्ता के विरुद्ध ऋण करार के प्रावधानों तथा लागू क़ानूनों के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। ऐसी कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले, बिजनेस नेक्स्टजेन फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आवेदक/उधारकर्ता को यथा कानून के अनुसार सूचना भेजेंगे।

वसूली प्रक्रिया, जिसमें बंधक/प्रतिभूति का प्रवर्तन, शामिल है, परंतु इन्हीं तक परिसीमित नहीं है, बंधक संपत्ति का कब्ज़ा लेने तथा उसकी बिक्री, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) अथवा किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, शुद्ध रूप से विशिष्ट कानून के अनुपालन में, होती है। अतिदेय की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले ग्राहक(कों) को विभिन्न कानूनी विधियों जैसे परक्राम्य लिखत विधि अधिनियम, सिविल सूट, सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम आदि के अनुसार सूचना/अनुस्मारक/नोटिस दिये जाते हैं।

(c) इस करार के अनुसार लागू विधिनुसार बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड देनदारियों की वसूली के लिए अपने वसूली एजेंट / अन्य पक्षकार से वसूली एजेंट प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

7.11 शिकायत निवारण व्यवस्था:

स्तर 1	बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ग्राहकों के प्रश्नों / मसलों का समाधान 15 कार्य दिवसों में करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्राहक अपने प्रश्नों / मसलों को customercare@bnfl.in पर लिख कर संबोधित कर सकते हैं या हमारे कॉल सेंटर नंबर 022-65431100 पर कॉल कर सकते हैं

स्तर 2	यदि कोई ग्राहक स्तर 1 पर प्रदत्त समाधान से संतुष्ट नहीं होता है, ग्राहक अपनी शिकायत को ग्राहक सेवा के प्रमुख को servicehead@bnfl.in पर भेज सकता/सकती है
स्तर 3	यदि कोई ग्राहक स्तर 1 तथा स्तर 2 पर प्रदत्त समाधान से संतुष्ट नहीं होता है तब ग्राहक अपनी शिकायत को ग्राहक management.bnfl@bnfl.in पर पोस्ट कर सकता/सकती है.

अनुच्छेद - 8 : अधित्याग

8.1 इस करार, बंधक विलेख या किसी अन्य करार या दस्तावेज के अंतर्गत किसी चूक पर ऋणदाता को प्राप्त होने वाले किसी अधिकार, शक्ति या उपाय के प्रयोग में कोई देरी या चूक किसी अधिकार, शक्ति या उपाय को क्षीण नहीं करेगी या इसे उसके त्याग के रूप में नहीं समझा जाएगा या ऐसी चूक में किसी प्रकार की मौन स्वीकृति किसी अन्य चूक के संबंध में ऋणदाता के किसी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या क्षीण नहीं करेगी।

अनुच्छेद-9: करार की प्रभावी तारीख

9.1 करार निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा:

यह करार इसके निष्पादन की तिथि से उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों पर बाध्यकारी हो जाएगा। यह तब तक पूर्ण रूप से लागू रहेगा जब तक ऋण का पूर्ण रूप से परिशोधन/चुकाव नहीं हो जाता है और इस करार के तहत ऋणदाता को देय अन्य धनराशि तथा उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निष्पादित सभी अन्य करार, प्रलेख पूरी तरह से चुका दिए जाते हैं।

अनुच्छेद-10: मिश्रित

उधारकर्ता द्वारा भुगतान का स्थान और तरीका: इस करार के तहत या इसके नियमों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को देय सभी धनराशि का भुगतान ऋणदाता के पंजीकृत कार्यालय या संबंधित क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय में चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा, जो ऋणदाता के पक्ष में उस शहर या कस्बे में किसी अनुसूचित बैंक में आहरित होगा जहां ऐसा पंजीकृत कार्यालय/शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है या किसी अन्य तरीके से जिसे ऋणदाता द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और इसका भुगतान इस प्रकार किया जाएगा कि ऋणदाता को भुगतान से संबंधित नियत तारीख को/या उससे पहले भुगतान की जाने वाली राशि प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

10.1 चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए सभी भुगतानों का क्रेडिट ऋणदाता द्वारा केवल उसकी वसूली होने पर ही दिया जाएगा।

10.2 निरीक्षण, प्रत्यायोजन:

(a) उधारकर्ता को ऋण के संबंध में अपने द्वारा रखी गई सभी लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण ऋणदाता के अधिकारियों को करने की अनुमति देनी होगी। उधारकर्ता ऐसी अन्य कंपनियों, बैंकों, संस्थाओं या निकायों के अधिकारियों द्वारा भी इसी प्रकार के निरीक्षण की अनुमति देगा, जिन्हें ऋणदाता अनुमोदित करेगा और उधारकर्ता को सूचित करेगा।

(b) ऋणदाता को किसी भी बैंक, संस्था या निकाय के पक्ष में किसी भी पुनर्वित्त सुविधा या ऋणदाता द्वारा ऐसे बैंक, संस्था या निकाय से लिए गए किसी भी ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में संपत्ति पर प्रभार सृजित करने का अधिकार होगा। ऋणदाता को यह भी अधिकार होगा कि वह ऋणदाता द्वारा ऋण की बिक्री या हस्तांतरण के संबंध में किसी बैंक, संस्था या निकाय के पक्ष में संपत्ति पर बंधक को हस्तांतरित या प्रत्यायोजित कर सके।

(c) ऋणदाता द्वारा किसी भी रेटिंग या अन्य एजेंसी या संस्था या निकाय को, जैसा कि ऋणदाता अपने विवेकानुसार उचित समझे, को ऋण आवेदन में निहित किसी भी जानकारी और/या उधारकर्ता द्वारा या उसकी ओर से ऋणदाता को प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रलेख या कागज या विवरण और/या उधारकर्ता और/या ऋण से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी जानकारी को उपलब्ध कराने का अधिकार होगा, जिसमें उसके पुनर्भुगतान, आचरण से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

ऋणदाता को ऋण और/या उधारकर्ता के संबंध में किसी भी स्रोत या व्यक्ति या संस्था से कोई भी जानकारी मांगने और/या प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसे उधारकर्ता इसके अनुसार ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करता है।

10.3 प्रतिभूतिकरण:

(a) ऋणदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ऋण को प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, यदि कोई हो, किसी भी तरीके से हस्तांतरित और/या समनुदेशित करके या अन्यथा अपने सभी अधिकार, स्वत्वाधिकार और हित को, जिसे ऋणदाता उचित समझे, सौंप सकता है/बेच सकता है और ऋणकर्ता इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत है कि उस स्थिति में, ऋणदाता को कोई अनुमति प्राप्त करने या उधारकर्ता को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

(b) उधारकर्ता ऐसे किसी भी प्रतिभूतिकरण और ऐसे किसी भी विक्रय, समनुदेशन या हस्तांतरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा और उधारकर्ता ऐसे अन्य पक्षकार (पक्षकारों) को विशेष रूप से ऋणदाता के रूप में या ऋणदाता के साथ संयुक्त ऋणदाता के रूप में, या विशेष रूप से ऋणदाता के अधिकार के साथ किसी अन्य पक्ष की ओर से इसके तहत सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखने के लिए स्वीकार करेगा।

(c) इस संबंध में कोई भी लागत, चाहे वह बिक्री, समनुदेशन या हस्तांतरण या अधिकारों के प्रवर्तन और बकाया राशि की वसूली के कारण हो, उधारकर्ता के खाते में जाएगी। ऋण लेने वाला, पोर्टफोलियो को किसी अन्य पक्षकारों को हस्तांतरित करने की स्थिति में बकाया ऋण और ऋणदाता द्वारा प्राप्त राशि के बीच के अंतर का भुगतान अन्य पक्षकार को करने का वचन देता है।

10.4 सह-ऋण:

सह-ऋण व्यवस्था का विवरण इस करार के परिशिष्ट-1 में दिया गया है। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उसने परिशिष्ट की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है तथा वह परिशिष्ट की शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत है और वचनबद्ध है।

10.5 क्षतिपूरण:

उधारकर्ता इस करार के किसी भी नियम, शर्त, कथन, वचनबद्धता, अभ्यावेदन और वारंटी के उल्लंघन के सभी परिणामों, साथ ही इसके किसी भी व्यपदेशन या वारंटी के किसी भी समय सत्य न पाए जाने पर भी, जिसमें ऋणदाता द्वारा सामना की गई, झेली गई या वहन की गई कोई कार्रवाई, मुकदमा, दावा, कार्यवाही, क्षति, देयताएं, हानि, व्यय या लागत (जिसे आगे "दावे" कहा जाएगा) शामिल हैं, से ऋणदाता और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ण रूप से क्षतिपूरित और हानिरहित रखने का उपक्रम करता है। उधारकर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है और मानता है कि वह स्पष्ट रूप से सहमत है और समझता है कि यह क्षतिपूर्ति उधारकर्ता की वारंटी और/या व्यपदेशन की ओर से सभी कार्यों और चूक की रक्षा करेगी। इसी प्रकार, यदि ऋणदाता पर कोई दावा किया जाता है, तो वारंटी के किसी उल्लंघन, व्यपदेशन, किसी लागू कानून का पालन न करने, अनधिकृत कार्य, धोखाधड़ी, कार्य या किए गए या न किए गए कार्य या उधारकर्ता या उसके कर्मचारियों, एजेंटों द्वारा किए गए वचन के झूठे होने के कारण, उधारकर्ता इस खाते पर किसी भी राशि के ऋणदाता द्वारा की गई पहली मांग पर ऐसी मांग किए जाने के 7 कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, चुनौती, विरोध के भुगतान करने का वचन देता है।

10.6 भुगतान का विनियोजन: जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, इस करार के तहत देय और उधारकर्ता द्वारा किया गया कोई भी भुगतान इस

क्रम में ऐसे बकाया के लिए विनियोजित किया जाएगा, अर्थात्:

(a) ब्याज

(b) ऋण का बकाया मूलधन

(c) लागत, प्रभार, खर्च, प्रासंगिक व्यय और अन्य धनराशि जो ऋणदाता द्वारा वसूली के संबंध में व्यय की गई हो;

(d) चूक की गई राशि पर अतिरिक्त ब्याज और/या परिनिर्धारित हरजाना और/या दंड शुल्क;

(e) पूर्वभुगतान शुल्क और फीस

निपटान, बट्टे खाते में डालने, बंद करने आदि के मामलों में, इस करार के तहत प्राप्य राशि तथा देय और उधारकर्ता द्वारा किया गया भुगतान निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, अर्थात्:

(a) ऋण का बकाया मूलधन

(b) ब्याज

(c) लागत, प्रभार, खर्च, आकस्मिक प्रभार और अन्य धनराशि जो ऋणदाता द्वारा वसूली के संबंध में व्यय की गई हो;

(d) चूक की गई राशि पर अतिरिक्त ब्याज और/या निश्चित क्षतिपूर्ति और/या दंडात्मक शुल्क;

(e) पूर्व भुगतान शुल्क और फीस

10.7 सूचना की तामील: इस करार के तहत ऋणदाता या उधारकर्ता को दी जाने वाली कोई भी सूचना या वांछित अथवा दिये जाने के लिए अनुमत अनुरोध लिखित रूप में दिया जाएगा। ऐसी सूचना या अनुरोध तब विधिवत दिया गया माना जाएगा जब इसे हाथ से, मेल, SMS, WhatsApp, और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड (आवेदन पत्र में उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई ईमेल ID और मोबाइल नंबर) द्वारा उस पक्ष को, जिसे इसे देने या बनाने की आवश्यकता है या अनुमति है, ऐसे पक्ष के नीचे निर्दिष्ट पते पर या ऐसे अन्य पते पर जिसे उस पक्ष ने ऐसे नोटिस देने या ऐसा अनुरोध करने वाले पक्ष को सूचना द्वारा निर्दिष्ट किया होगा, दिया जाएगा।

ऋणदाता के लिए: ऋणदाता का पंजीकृत कार्यालय

ईमेल ID: जैसा कि कंपनी की वेबसाइट www.bnfl.in पर उल्लेख किया गया है, उधारकर्ता के लिए: अनुसूची/आवेदन पत्र में उल्लिखित आवासीय पता या अनुसूची में वर्णित संपत्ति का पता।

ईमेल ID: जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है।

मोबाइल नंबर: जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है। (SMS और WhatsApp के माध्यम से)

10.8 उधारकर्ता निम्नलिखित से सहमत/पुष्टि करता है:

(a) ऋणदाता, उधारकर्ता की ऋण सुविधा/ऋण लेखा / अन्य वित्तीय संव्यवहार में गतिविधियों की निगरानी करेगा और गलत कार्य या धोखाधड़ी गतिविधि के संदेह/संकेत के मामले में, ऋणदाता अपनी नीति के अनुसार, बाहरी लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षक के माध्यम से आगे की जांच कर सकता है और प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

(b) ऋणदाता, किसी भी उधारकर्ता को / उधारकर्ताओं में से किसी एक को, किसी भी उधारकर्ता / या उधारकर्ताओं में से किसी एक से बाद में प्राप्त विपरीत सलाह/सूचना के होते हुये भी, स्वामित्व का प्रलेख वापस कर सकता है।

(c) उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि उसके पास ऋणदाता को स्वीकार्य बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी लेने का विकल्प है। यदि ऋण वितरण से पूर्व उधारकर्ता ऐसी बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं करता है, तो उधारकर्ता ऋणदाता को अपनी ओर से उन्हें स्वीकार्य बीमा कंपनी से बीमा प्राप्त करने तथा संवितरित ऋण से बीमा प्रीमियम की राशि काटने के लिए अधिकृत करता है। इसके अलावा, उधारकर्ता ने बीमा पॉलिसी की शर्तों को पढ़ और समझ लिया है/उसे उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में समझा दिया गया है, और वह उनसे बाध्य होने के लिए सहमत है।

(d) ऋणदाता के पक्ष में सौंपी गई बीमा पॉलिसी/ऋणदाता के पक्ष में प्रत्यायोजित पॉलिसियों को चालू रखने के लिए समय पर जब भी उनका भुगतान देय होता है तब किस्त का भुगतान करना तथा आवश्यकतानुसार ऋणदाता को रसीदें प्रस्तुत करना।

(e) ऋणदाता को ऋण के विरुद्ध किसी भी बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी भुगतान को प्राप्त करने और समायोजित करने का अधिकार होगा तथा इस करार या किसी अन्य दस्तावेज या कागज में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, परिशोधन अनुसूची को किसी भी तरीके से बदलने का अधिकार होगा, जैसा वह उचित समझे।

(f) यदि उधारकर्ता एक कंपनी या साझेदारी फर्म है, तो उधारकर्ता को अपनी इच्छा से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 30 जून को या उससे पहले ऋणदाता को अपनी वार्षिक आय का विवरण भेजना होगा, जिसमें लाभ और हानि लेखा और अनुलग्नकों के साथ विस्तृत तुलन पत्र शामिल होगा। हालाँकि, ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता से उसके व्यापार, कारोबार या पेशे से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी, प्रलेख आदि मांग सके, जिसे उधारदाता उचित समझे।

(g) ऋणदाता को इस करार के किसी भी नियम व शर्त को संशोधित करने का एकल अधिकार है, जिसमें वार्षिकीकृत ब्याज दर में संशोधन, दंडात्मक शुल्क, बाउंस शुल्क, प्रसार, पूर्वभुगतान शुल्क (चाहे आंशिक पूर्वभुगतान हो या पूर्ण), उधारकर्ता को किसी भी स्वीकार्य संचार माध्यम से नोटिस देकर पुनर्भुगतान के क्रेडिट को प्रभावित करने की विधि, बिना कोई कारण बताए शामिल है, और उधारकर्ता सहमत है कि ऐसा संशोधन उधारकर्ता को अधिसूचना की तारीख से भावी रूप से लागू होगा।

(h) कि नीचे दी गई अनुसूची के निबंधन एवं शर्तें तथा सभी प्रसंविदा और विवरण इन प्रस्तुतियों के अभिन्न अंग के रूप में पढ़े और समझे जाएंगे।

(i) इस करार की शर्तें और नियम उधारकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, उधारकर्ता के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों तथा ऋणदाता के उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होंगी।

(j) इस करार की व्याख्या भारत की विधियों के अनुसार की जाएगी। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस करार से उत्पन्न होने वाले और/या इससे संबंधित सभी विवाद, जिसमें कोई भी संबंधित प्रलेख शामिल हैं, उस स्थान के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे/होंगे जहां ऋण कार्यालय स्थित है। बशर्ते कि विधि द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता किसी अन्य स्थान के किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण में विवाद से संबंधित कार्यवाही करने का हकदार होगा, जिसके पास अधिकार क्षेत्र हो। बशर्ते कि यदि इस करार के तहत उत्पन्न होने वाला कोई विवाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की आर्थिक अधिकार क्षेत्र सीमा से नीचे हो, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जैसा कि संशोधित किया जा सकता है, या ऋणदाता द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा इसका पुनः अधिनियमन किया जा सकता है। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। ऐसे मध्यस्थता की लागत का वहन हारने वाले पक्ष द्वारा या मध्यस्थता पुरस्कार में अन्यथा निर्धारित द्वारा किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान वह शहर होगा जिसमें ऋणदाता कार्यालय स्थित है या ऐसा कोई अन्य स्थान होगा जिसे ऋणदाता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि किसी पक्ष को किसी भी प्रकार की विधिक

कार्रवाई द्वारा मध्यस्थता निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है, तो जिस पक्ष के विरुद्ध ऐसी विधिक कार्रवाई की जाती है, उसे सभी उचित लागतों और खर्चों तथा वकील की फीस का भुगतान करना होगा, जिसमें निर्णय को लागू करने की मांग करने वाले पक्ष द्वारा उठाए गए अतिरिक्त मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की लागत भी शामिल है।

कि उधारकर्ता ने इस करार को पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा यदि उधारकर्ता अशिक्षित है और/या अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ सकता है, तो इस करार की शर्तों को उधारकर्ता को स्थानीय भाषा में विस्तार से पढ़कर सुनाया, अनुवादित किया और समझाया गया है।

स्वीकृतियां: मैंने/हमने सम्पूर्ण करार को पढ़ लिया है जिसमें 14 खंड शामिल हैं, जिसमें अनुसूचियों में दिए गए विवरण भी शामिल हैं, जिन्हें मेरी उपस्थिति में भरा गया है। मैं/हम अनुसूचियों सहित सभी शर्तों से आबद्ध रहूँगा/रहूँगी। उपर्युक्त करार और अन्य दस्तावेज मुझे/हमें उस भाषा में समझाए गए हैं जिसे मैं/हम समझते हैं तथा मैंने/हमने विभिन्न धाराओं का संपूर्ण अर्थ समझ लिया है।

अनुच्छेद-11: वसूली

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि ऋणदाता, स्वयं या अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा करने का हकदार होगा और उसके पास ऐसा करने की पूरी शक्ति और अधिकार होगा, कि वह ऋणदाता द्वारा चुने गए एक या अधिक अन्य पक्षकार नियुक्त करे और ऐसे अन्य पक्षकार को इस करार के तहत ऋण के प्रशासन से संबंधित अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों को सौंपे, जिसमें ऋणदाता की ओर से उधारकर्ता से इस करार के तहत उधारकर्ता द्वारा देय सभी देय और अदत्त EMI और अन्य राशियों को वसूल करने और प्राप्त करने का अधिकार शामिल है और सभी वैध कार्यों, विलेखों, मामलों और इससे संबंधित और इसके साथ प्रासंगिक चीजों को निष्पादित और निष्पादित करना जिसमें सूचना भेजना, उधारकर्ता से संपर्क करना, उधारकर्ता से नकद / चेक / ड्राफ्ट / अधिदेश प्राप्त करना और उधारकर्ता को वैध और प्रभावी रसीदें और उन्मोचन शामिल है। उपरोक्त उद्देश्यों के लिए या ऋणदाता के विवेक पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए, ऋणदाता ऐसे अन्य पक्षकारों को उधारकर्ता और ऋण से संबंधित सभी आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने का हकदार होगा और उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता द्वारा इस तरह के प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है। उपरोक्त के बावजूद, उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और ऋणदाता को अधिकृत करता है (और / या ऐसे किसी अन्य पक्षकार को जिसे ऋणदाता चुन सकता है) अन्य पक्षकारों (उधारकर्ता के परिवार के सदस्यों सहित) से संपर्क करने और उधारकर्ता और ऋण से संबंधित सभी आवश्यक या प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने के लिए और उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता (और / या ऐसे किसी अन्य पक्षकार को जिसे ऋणदाता चुन सकता है) द्वारा इस तरह के प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है।

अनुच्छेद-12: प्रकटीकरण

12.1 उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, उधारकर्ता यह समझता है कि उधारकर्ता को ऋण देने से संबंधित पूर्व शर्त के रूप में, ऋणदाता को उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा, उधारकर्ता द्वारा ली गई/ली जाने वाली ऋण सुविधा, उसके संबंध में उधारकर्ता द्वारा आश्वासित/आश्वासित किए जाने वाले दायित्वों और उसके निर्वहन में ऋण लेने वाले द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो, के प्रकटीकरण के लिए उधारकर्ता की सहमति की आवश्यकता है। तदनुसार, उधारकर्ता इसके द्वारा ऋणदाता द्वारा सभी या किसी भी ऐसे प्रकटीकरण के लिए सहमत और सहमति देता है-

(a) उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और आंकड़े;

(b) उधारकर्ता द्वारा प्राप्त / प्राप्त की जाने वाली किसी भी ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी या आंकड़े; और

(c) यदि कोई चूक उधारकर्ता द्वारा ऐसे दायित्वों के निर्वहन में की गई है, जिसे ऋणदाता क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और भारतीय रिजर्व ऋणदाता द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रकट करने और प्रस्तुत करने के लिए उचित और आवश्यक समझे।

12.2 उधारकर्ता यह भी घोषणा करता है कि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई जानकारी और आंकड़े सत्य और सही हैं।

12.3 उधारकर्ता यह भी समझता है कि:

(a) ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी ऋणदाता द्वारा प्रकट की गई उक्त सूचना और डेटा का उपयोग, प्रसंस्करण उस तरीके से कर सकती है जैसा वे उचित समझें: और

(b) ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उसके उत्पादों को, ऋणदाताओं/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋणदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा कि इस संबंध में रिजर्व ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता इसके द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए उपरोक्त सभी या किसी भी जानकारी/प्रलेख या आंकड़े के ऋणदाता द्वारा प्रकटीकरण के लिए भी अपनी स्पष्ट सहमति देता है:

आयकर प्राधिकारी, साख श्रेणी निर्धारन एजेंसियां (ऋण संदर्भ जांच के प्रयोजन के लिए) या कोई अन्य सरकारी या विनियामक प्राधिकरण / निकाय /विभाग / प्राधिकरण, जब कभी ऐसा मांगा जाए; और

ii. किसी भी न्यायालय या न्यायिक, वैधानिक या विनियामक प्राधिकरण/न्यायाधिकरण/मध्यस्थ को इस आशय के आदेश/निर्देश के अनुसरण में, जब भी आवश्यक हो। इसके अलावा, ऋणदाता को उपरोक्त सभी या कोई भी जानकारी/प्रलेख या आंकड़े को अपनी किसी भी सहयोगी संस्था, ऋणदाता के सहयोगियों, सम्बद्ध कंपनियों या समूह कंपनियों के साथ साझा करने का भी अधिकार होगा। ऋणदाता को इस संबंध में उधारकर्ता को कोई और नोटिस जारी किए बिना प्रकटीकरण के उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करने की हकदारी होगी। उधारकर्ता और गारंटर विशेष रूप से गोपनीयता, निजता और मानहानि के विशेषाधिकार को छोड़ देते हैं। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि यदि उधारकर्ता भविष्य में नए उत्पादों सहित कोई अतिरिक्त वित्तीय सुविधा(एं) प्राप्त करना चाहता है या ऋणदाता कोई अतिरिक्त वित्तीय सुविधा(एं) प्रदान करता है, तो ऋणदाता द्वारा पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

13. प्रतिलोच देयता: -

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि यदि उधारकर्ता किसी देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या जिसे देय तिथि से पहले देय घोषित किया जा सकता है या इस करार के तहत या ऋणदाता के साथ किसी अन्य करार के तहत कोई चूक करता है जिसके तहत उधारकर्ता ऋणदाता के साथ वित्तीय/ऋण सुविधाओं का आनंद ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में, ऋणदाता, इस करार या अन्य समझौतों के तहत अपने किसी भी विशिष्ट अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस करार और अन्य समझौतों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का पूर्ण रूप से हकदार होगा जैसे कि इसी करार और अन्य समझौतों के तहत चूक की घटना घटित हुई हो।

14. प्रतिलोच संपार्श्विक

14.1 उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि इस करार के तहत ऋण और अन्य देय राशियों के उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान की स्थिति में, लेकिन ऋणदाता

से प्राप्त किसी अन्य वित्तीय सुविधा के तहत उधारकर्ता के ऊपर कोई बकाया राशि है या ऋणदाता द्वारा ऋणदाता को देय कोई बकाया राशि है, तो ऐसी स्थिति में, ऋणदाता इस करार के तहत उधारकर्ता द्वारा सृजित सुरक्षा को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा और उधारकर्ता ऋणदाता को ऐसी बकाया वित्तीय सुविधा की रक्षा करने के लिए सुरक्षा का विस्तार करने के लिए अधिकृत करता है। इसी प्रकार, इस करार के तहत उधारकर्ता द्वारा कोई बकाया होने की स्थिति में, उधारकर्ता द्वारा उधारकर्ता से ली गई किसी अन्य वित्तीय सुविधा के लिए उधारकर्ता द्वारा बनाई गई प्रतिभूति को जारी करने के लिए ऋणदाता बाध्य नहीं होगा और उधारकर्ता इस करार के तहत बकाया राशि की रक्षा करने के लिए ऐसी प्रतिभूति का विस्तार करने का वचन देता है।

14.2 यदि उधारकर्ता किसी देय राशि का भुगतान करने में असफल रहता है या जिसे देय घोषित किया जा सकता है, उस तिथि से पहले जब वह अन्यथा देय हो जाती या इस करार के तहत या ऋणदाता के साथ किसी अन्य करार के तहत कोई चूक करता है जिसके तहत उधारकर्ता ऋणदाता के साथ वित्तीय/ऋण सुविधाओं का आनंद ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता से प्राप्त किसी अन्य वित्तीय सुविधा के लिए अनुसूचित संपत्ति पर उधारकर्ता द्वारा बनाई गई सुरक्षा को जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा और उधारकर्ता इस करार के तहत बकाया राशि को कवर करने के लिए ऐसी सुरक्षा बढ़ाने का वचन देता है।

14.3 प्रमोटर तथा उधारकर्ता यह कहते हैं कि वे जानते हैं कि बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए उपरोक्त आश्वासन के आधार पर, बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड उधारकर्ता को ऋण सुविधा अनुदान करने के लिए सहमत हो गया है।

उधारकर्ता द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन चूक की घटना और सुविधा शर्तों के उल्लंघन के बराबर होगा और परिणामस्वरूप, बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अपने स्वयं के विकल्प और एकल विवेक पर उक्त ऋण सुविधाओं के तहत आगे कोई राशि वितरित करने से इनकार कर सकता है और ऐसे सभी उपचारात्मक कदम उठा सकता है, जैसे कि बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड किसी भी करार के तहत या कानून द्वारा या अन्यथा जैसा बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड उचित समझे, जिसमें ब्याज, लागत, शुल्क और व्यय (वकील की लागत सहित) के साथ संपूर्ण बकाया राशि वापस लेना शामिल है और बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इसके बाद उधारकर्ता के खिलाफ सभी अधिकारों को लागू करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता और जमानती द्वारा बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बनाई गई प्रतिभूतियों का प्रवर्तन शामिल है।

14.4 पक्ष सहमत हैं कि इस उपक्रम से उत्पन्न और इससे संबंधित किसी भी विवाद को बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। उक्त एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम, निर्णायक और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने पृष्ठ संख्या 1 से 13 में निहित पाठ को पढ़ और समझ लिया है।

उधारकर्ता | सह-उधारकर्ता (1) | सह-उधारकर्ता (2) | सह-उधारकर्ता (3)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए

अनुसूची

निष्पादन की जगह			
निष्पादन की तिथि			
(A) उधारकर्ता/ओं और गारंटीकर्ता/ओं का विवरण (संपत्ति का पता)			
	नाम:	संविधान	पता:
उधारकर्ता			
सह-उधारकर्ता 1			
सह-उधारकर्ता 2			
सह-उधारकर्ता 3			
सह-उधारकर्ता 4			
सह-उधारकर्ता 5			

ऋण संपत्ति/संपत्तियों का विवरण	
क्रमांक	**संपत्ति का पता**

उधारकर्ता सह-उधारकर्ता (1) सह-उधारकर्ता (2) सह-उधारकर्ता (3)

<table>
<tr><td colspan="3">(B) उधार विवरण</td></tr>
<tr><td>ऋण राशि</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ऋण की अवधि (महीनों में)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">यदि दोहरी दर ऋण ले रहे हैं, तो ऋण अवधि का विवरण (महीनों में)</td><td>स्थिर दर धारणावधि</td><td></td></tr>
<tr><td>अस्थिर दर धारणावधि</td><td></td></tr>
<tr><td>बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की मूल उधार दर (PLR) से सम्बद्ध ब्याज़ की अस्थिर दर</td><td colspan="2">बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की PLR ____ % + ___ % = _____ %</td></tr>
<tr><td>स्थिर दर उधार के लिए ब्याज़ दर</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">यदि दोहरी दर ऋण प्राप्त कर रहे हैं, तो वार्षिकीकृत ब्याज दर का विवरण</td><td>स्थिर दर धारणावधि के दौरान स्थिर ब्याज़ दर</td><td></td></tr>
<tr><td>बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की मूल उधार दर (PLR) से सम्बद्ध ब्याज़ की अस्थिर दर</td><td>बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड PLR ____% + ____ % =_____%</td></tr>
<tr><td>EMI राशि</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>EMI के भुगतान की पुनर्भुगतान तिथि</td><td colspan="2">प्रत्येक महीने की _____</td></tr>
<tr><td>प्रसंस्करण शुल्क</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ऋण का उद्देश्य</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>पुनर्भुगतान मोड</td><td colspan="2">ई-अधिदेश</td></tr>
<tr><td>आवृत्ति</td><td colspan="2">मासिक</td></tr>
<tr><td>दंडात्मक प्रभार</td><td colspan="2">दंडात्मक प्रभार ग्रिड:

<table>
<tr><th>बकाया मूलधन</th><th>दैनिक प्रभार</th></tr>
<tr><td>7 लाख तक</td><td>12</td></tr>
<tr><td>7 से 10 लाख</td><td>17</td></tr>
<tr><td>10 से 15 लाख</td><td>22</td></tr>
<tr><td>15 से 20 लाख</td><td>27</td></tr>
<tr><td>20 लाख से अधिक</td><td>30</td></tr>
</table>
*उपयुक्त GST लेवी की जाएगी
➢ पूरे EMI बकाया का भुगतान होने तक प्रभार हर उस दिन के लिए लगाया जाएगा जिसके लिए EMI बकाया रहती है।
➢ जिस दिन EMI अतिदेय होती है अथवा बकाया रहती है उस दिन से बकाया मूलधन के आधार पर दैनिक प्रभार लगाया जाएगा</td></tr>
<tr><td>बाउंस और अन्य प्रभार</td><td colspan="2">नवीनतम लागू दरों के लिए वेबसाइट का संदर्भ लें</td></tr>
<tr><td>पूर्व भुगतान प्रभार</td><td colspan="2">➢ पूर्व-भुगतान राशि पर 5% + GST लागू होगा।
➢ अस्थिर दर पर ऋण लेने वाले व्यक्तियों के मामले में, पूर्व-भुगतान प्रभार लागू नहीं होंगे।
➢ दोहरी दर वाले ऋणों के लिए, यदि ऋण स्थिर दर अवधि के दौरान पूरी तरह से पूर्व-भुगतान किया जा रहा है, तो पूर्व-भुगतान प्रभार लागू होंगे।</td></tr>
</table>

BNF BizzNextgenFinance

आंशिक पूर्व भुगतान प्रभार	➢ आंशिक पूर्व-भुगतान के लिए पूर्व-भुगतान राशि पर 3% + GST लागू होगा। ➢ आंशिक पूर्व-भुगतान राशि बकाया मूलधन के 10% के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। ➢ अस्थिर दर पर ऋण लेने वाले व्यक्तियों के मामले में, पूर्व-भुगतान प्रभार लागू नहीं होंगे। ➢ दोहरी दर वाले ऋणों के लिए, यदि ऋण स्थिर दर अवधि के दौरान आंशिक रूप से पूर्व-भुगतान किया जा रहा है, तो पूर्व-भुगतान प्रभार लागू होंगे।
विधिक, वसूली और आकस्मिक प्रभार	वास्तविक में
स्टाम्प शुल्क और अन्य वैधानिक प्रभार, जिसमें साम्यिक बंधक का सृजन भी शामिल है	लागू कानून/नों के अनुसार।
खंडित अवधि का ब्याज / EMI पूर्व-राशि	करार की शर्तों के अनुसार ऋण के वितरण की तिथि से लेकर EMI के भुगतान की पहली पुनर्भुगतान प्रारंभ होने की तिथि तक ब्याज के रूप में प्रभार्य राशि

उधारकर्ता सह-उधारकर्ता (1) सह-उधारकर्ता (2) सह-उधारकर्ता (3)

FATCA-CRS घोषणा: आवेदक: मुख्य आवेदक/सह आवेदक/गारंटीकर्ता:

विवरण	नाम:	PAN	फॉर्म 60 - हां/न	पता:
आवेदक:				
सह-आवेदक 1:				
सह-आवेदक 2:				
सह-आवेदक 3:				

विवरण	पिता का नाम	राष्ट्रिकता	जन्म का शहर	जन्म का देश
आवेदक:				
सह-आवेदक 1:				
सह-आवेदक 2:				
सह-आवेदक 3:				

आवेदक घोषणा:

☐ मैं भारत का कर निवासी हूँ और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूँ अथवा ☐ मैं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित देश/देशों का कर निवासी हूँ।
कृपया कर उद्देश्यों के लिए उस देश/देशों का उल्लेख करें जिनमें संस्था निवासी है तथा नीचे संबंधित कर ID संख्या बताएं:

कर प्रयोजन हेतु पता प्रकार* ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय

देश*	कर पहचान संख्या%	पहचान प्रकार (TIN या अन्य %, कृपया निर्दिष्ट करें)	कर प्रयोजन हेतु पता* ☐ संचार पता ☐ स्थायी पता

			कृपया नीचे दिए गए पते पर ध्यान दें
			सीमाचिह्न
			पिन राज्य देश

संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शामिल करें, जहां व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक/ग्रीन कार्ड धारक है। यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया कार्यात्मक समकक्ष प्रदान करें।

हस्ताक्षर: **तिथि:** _____ **स्थान:** _____

सह-आवेदक -1 घोषणा:

☐ मैं भारत का कर निवासी हूँ और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूँ अथवा ☐ मैं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित देश/देशों का कर निवासी हूँ।

कृपया कर उद्देश्यों के लिए उस देश/देशों का उल्लेख करें जिनमें संस्था निवासी है तथा नीचे संबंधित कर ID संख्या बताएं:

कर प्रयोजन हेतु पता प्रकार* ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय

देश	**कर पहचान संख्या%**	**पहचान प्रकार (TIN या अन्य %, कृपया निर्दिष्ट करें)**	कर प्रयोजन हेतु पता* ☐ **संचार पता** ☐ **स्थायी पता** **कृपया नीचे दिए गए पते पर ध्यान दें**
			सीमाचिह्न
			पिन राज्य देश

#संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शामिल करें, जहां व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक/ग्रीन कार्ड धारक है। यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया कार्यात्मक समकक्ष प्रदान करें।*

हस्ताक्षर: **तिथि:** _____ **स्थान :**_____

सह-आवेदक -2 घोषणा:

☐ मैं भारत का कर निवासी हूँ और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूँ अथवा ☐ मैं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित देश/देशों का कर निवासी हूँ।

कर उद्देश्य के लिए पता प्रकार* ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय

देश	**कर पहचान संख्या%**	**पहचान प्रकार (TIN या अन्य %, कृपया निर्दिष्ट करें)**	कर प्रयोजन हेतु पता* ☐ **संचार पता** ☐ **स्थायी पता** **कृपया नीचे दिए गए पते पर ध्यान दें**
			सीमाचिह्न
			पिन राज्य देश

#संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शामिल करें, जहां व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक/ग्रीन कार्ड धारक है। यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया कार्यात्मक समकक्ष प्रदान करें।*

हस्ताक्षर: तिथि: _____ स्थान: _____

सह-आवेदक -3 :

☐ मैं भारत का कर निवासी हूँ और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूँ अथवा ☐ मैं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित देश/देशों का कर निवासी हूँ।

कर उद्देश्य के लिए पता प्रकार* ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय

देश	**कर पहचान संख्या%**	**पहचान प्रकार (TIN या अन्य %, कृपया निर्दिष्ट करें)**	कर प्रयोजन हेतु पता* ☐ **संचार पता** ☐ **स्थायी पता** **कृपया नीचे दिए गए पते पर ध्यान दें**
			सीमाचिह्न

			पिन	राज्य	देश

#संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शामिल करें, जहां व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक/ग्रीन कार्ड धारक है। यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया कार्यात्मक समकक्ष प्रदान करें।

हस्ताक्षर: **तिथि :** _____ **स्थान :**_____

FATCA-CRS प्रमाणन
मैंने इस फॉर्म (तथा नियम एवं शर्तों) की सूचना आवश्यकताओं को समझ लिया है और मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि इस फॉर्म में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है तथा मैं इसे स्वीकार करता/करती हूँ।

अंतिम उपयोग उपक्रम

प्रिय महोदय,

विषय: संपत्ति के विरुद्ध ऋण के लिए आवेदन।

मैं/हम, ऋण करार के अनुसूची पृष्ठ में सूचीबद्ध संपत्ति के विरुद्ध ऋण आवेदन के आवेदक/सह-आवेदक, इसके द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वारंटी देते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त उद्देश्य एक वैध उद्देश्य है और किसी भी तरह से सट्टा या अवैध नहीं है।

मैं/हम आगे सहमत हैं, पुष्टि करते हैं और वचन देते हैं कि ऋण करार के अनुसूची पृष्ठ में उल्लिखित निधियों के उपयोग के उद्देश्य को ऋण की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा; या उद्देश्य में ऐसा परिवर्तन केवल बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति से ही होगा।

मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि उपरोक्त सभी या किसी भी वचनबद्धता का पालन करने में कोई भी उल्लंघन या चूक, ऋण करार के तहत चूक की घटना मानी जाएगी।

BNF
BizzNextgenFinance

सधन्यवाद,

भवदीय,

उधारकर्ता सह-उधारकर्ता (1) सह-उधारकर्ता (2) सह-उधारकर्ता (3)

Vernacular Declaration Form

English	☐	I/We confirm that the content of this Application / Agreement / Letter / Terms and Conditions were read out and explained to me / us in English and I/We confirm to have understood the same.
Hindi	☐	मैं/हम यह पुष्टि करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इस आवेदन/अनुबंध/पत्र/नियम एवं शर्तों की सामग्री को हिंदी में पढ़ कर मुझे/हमें समझाया गया था और मैं/हम उनके समझने की पुष्टि करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।
Bengali	☐	আমি / আমরা নিশ্চিত করছি যে এই আবেদন / চুক্তি / পত্র / নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত সামগ্রীটি পড়েছি এবং আমাকে / আমাদের সেটা বাংলায় ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়েছে এবং আমি / আমরা এটিকে বুঝেছি বলে নিশ্চয়তা প্রদান করছি
Tamil	☐	இந்த விண்ணப்பம்/ஒப்பந்தம்/கடிதம்/வரையறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளிலுள்ள விபரங்களை எனக்கு / எங்களுக்கு தமிழில் படித்துக் காட்டி விளக்கப்பட்டது என்றும் அவற்றை நான்/நாங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன்/புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நான்/நாங்கள் உறுதி அளிக்கிறோம்.
Punjabi	☐	ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ/ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਪੱਤਰ/ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੈਨੂੰ/ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
Urdu	☐	میں/ہم تصدیق کرتا ہوں/کرتے ہیں کہ اس درخواست/اقرارنامہ/خط/ شرائط و ضوابط کے متن کو مجھے/ہمیں انگریزی میں پڑھ کر سنا دیا گیا ہے اور اس کی وضاحت کردی گئی ہے اور میں/ہم تصدیق کرتا ہوں/کرتے ہیں کہ میں/ہم نے اسے سمجھ لیا ہے۔
Malayalam	☐	ഈ അപേക്ഷ / ഉടമ്പടി / കത്ത് / നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും എന്നിവയിലെ ഉള്ളടക്കം എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ച്തരികയും മലയാളത്തിൽ എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച്തരികയും ചെയ്തതായി ഞാൻ / ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എനിക്ക്/ഞങ്ങൾക്ക് അവ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ / ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
Gujarati	☐	આથી હું/અમે એ વાતની પુષ્ટિ કરીએ છીએ કે, આ અરજી/કરાર/પત્ર/નિયમો અને શરતોના લખાણને મારી/અમારી સમક્ષ ગુજરાતીમાં વાંચી સંભળાવવામાં આવ્યું હતું અને અમને સમજાવવામાં આવ્યું હતું અને મેં/અમે તેને સમજી લીધું હોવાની હું/અમે પુષ્ટિ કરું છું/કરીએ છીએ.
Telugu	☐	ఈ అప్లికేషన్/అగ్రిమెంట్/లేఖ/నియమ నిబంధనల్లోని విషయంనాకు/మాకు తెలుగులోచదివి వినిపించబడిందని మరియు వివరించబడిందని మరియు నేను/మేము దీనిని అర్థం చేసుకున్నామని నేను/మేము ధృవీకరిస్తున్నాం.
Oriya	☐	ମୁଁ/ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ ଯେ ଏହି ଦରଖାସ୍ତ/ଚୁକ୍ତିନାମା/ପତ୍ର/ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ବିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବୁଝାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ/ଆମେ ତାହାକୁ ବୁଝିଥିବା ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛୁ ।
Kannada	☐	ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು/ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಅರ್ಜಿ/ಒಪ್ಪಂದ/ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಯ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು/ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
Marathi	☐	मी/आम्ही यास पुष्टी देतो/देते की या अर्जातील/करारनाम्यातील/पत्रातील/नियम व अटींमधील मजकूर मला/आम्हाला मराठीत वाचून दाखवण्यात आला आणि समजावून देण्यात आला आणि मला/आम्हाला तो समजला असल्याची मी/आम्ही पुष्टी देतो/देते.
Assamese	☐	মই/আমি নিশ্চিতি কৰিছো যে এই আৱেদন / চুক্তিপত্ৰ / পত্ৰ / নীতি আৰু চর্তাৱলীত থকা সবিশেষ তথ্য আমি ভালদৰে পঢ়িছো আৰু মোক / আমাক এই বিষয়ে সবিশেষ অসমীয়াত বাখ্যা কৰি বুজোৱা হৈছে আৰু মই / আমি এই বিষয়ে সমগ্ৰ কথা বুজি পাইছো বুলি নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলো।
Konkani	☐	ह्या अर्जाची/कबलातीची/ पत्राची/ नेम आनी अटींची सामुग्री कोंकणीं भाशेंतल्यान वाचून दाखोवन, म्हाका/आमकां वर्णीत केल्या हाची हांव/आमी खात्री दितां/दितात आनी हांव/आमी ती समजलां/समजल्यात म्हूण खात्री दितां/दितात.

उधारकर्ता सह-उधारकर्ता (1) सह-उधारकर्ता (2) सह-उधारकर्ता (3)

सेवा में,

बिजनेस नेक्स्टजेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

इसमें मेरी संपत्ति के विरुद्ध ऋण की स्वीकृति का संदर्भ है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि नीचे दिये गए विवरण के अनुसार हमारा ऋण संवितरण चेक/मांग ड्राफ्ट/भुगतान निर्देश ज़ारी करें।

1)

के अनुग्रह में	
बैंक का नाम	
खाता संख्या	
IFSC कोड (ऑनलाइन भुगतान के लिए)	
राशि	

2)

के पक्ष में	
बैंक का नाम	
खाता संख्या	
IFSC कोड (ऑनलाइन भुगतान के लिए)	
राशि	

3)

के पक्ष में	
बैंक का नाम	
खाता संख्या	
IFSC कोड (ऑनलाइन भुगतान के लिए)	
राशि	

4)

के पक्ष में	
बैंक का नाम	
खाता संख्या	
IFSC कोड (ऑनलाइन भुगतान के लिए)	
राशि	

5)

के पक्ष में	
बैंक का नाम	
खाता संख्या	
IFSC कोड (ऑनलाइन भुगतान के लिए)	
राशि	

(उधारकर्ता का हस्ताक्षर): (सह-उधारकर्ता का हस्ताक्षर):
(उधारकर्ता का हस्ताक्षर): (सह-उधारकर्ता का हस्ताक्षर):

नोट: किसी भी सुधार के लिए उधारकर्ता और सह-उधारकर्ताओं द्वारा प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। कंपनी इस फॉर्म में भरे गए विवरण के अलावा अनुग्रह के विवरण में किसी भी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

ऋण खातों का पुनर्वर्गीकरण

A. ऋण खाते का डाउनग्रेडेशन

इस करार के तहत यदि ऋणदाता देय तिथि पर या उससे पहले किसी भी EMI या बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता उधारकर्ता के ऋण खाते को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत करेगा:

1. SMA के रूप में, निम्नलिखित होने पर:

SMA उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार - वह अवधि जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से देय है, अतिदेय रहती है
SMA-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

2. NPA के रूप में, यदि मूलधन या ब्याज भुगतान की अवधि 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता के ऋण खाते को ऋणदाता द्वारा देय तिथि के लिए ऋणदाता की डे-एंड प्रक्रियाओं के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाओं को चलाने का समय कुछ भी हो।

उदाहरण:

यदि ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और ऋणदाता द्वारा इस तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय की तिथि 31 मार्च, 2021 होगी। यदि ऋण अतिदेय बना रहता है, तो 30 अप्रैल, 2021 को, अर्थात लगातार अतिदेय रहने के 30 दिन पूरे होने पर, डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर ऋण खाते को SMA -1 **के रूप में** टैग किया जाएगा। तदनुसार, ऋण खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी प्रकार, यदि ऋण खाता अतिदेय बना रहता है, तो 30 मई 2021 को (अर्थात, लगातार 60 दिनों तक अतिदेय रहने पर) डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर इसे SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि ऋण खाता आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून 2021 को (अर्थात, लगातार 90 दिनों तक अतिदेय रहने पर) डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

B. ऋण खाते का कोटि-उन्नयन

BNF
BizzNextgenFinance

NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को ऋणदाता द्वारा 'मानक' आस्ति के रूप में तभी कोटि-उन्नयन किया जा सकता है, जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

उधारकर्ता सह-उधारकर्ता (1) सह-उधारकर्ता (2) सह-उधारकर्ता (3)

परिशिष्ट I – सह-उधार के लिए सहमति

1. व्यवस्था

a. ऋणदाता ने 5 नवंबर, 2020 के RBI परिपत्र के तहत सह-ऋण देने के उद्देश्य से कुछ बैंकों ("बैंक") के साथ सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है, जैसा कि ऋण के संबंध में सभी मामलों में समय-समय पर संशोधित, अनुपूरित और अधिक्रमित किया गया है। यह ऋण ऐसी सह-ऋण व्यवस्था के अधीन भी हो सकता है, जिसके अनुसार यदि उधारकर्ता द्वारा लिया गया ऋण बैंक के चयन मानदंडों को पूरा करता है और/या बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो ऋणदाता उधारकर्ता को ऋण प्रदान करेगा और बैंक ऋणदाता को बकाया कुल मूलधन के एक निश्चित प्रतिशत* के विस्तार तक धनराशि हस्तांतरित करेगा ("बैंक अंशदान") और ऋण का एक हिस्सा बैंक द्वारा नवीकृत किया जाएगा। यदि उधारकर्ता बैंक के चयन मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन बैंक ऊपर उल्लिखित ऋण में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है, तो कंपनी द्वारा पूर्ण मूल्य का ऋण प्रदान किया जाएगा। बैंक और ऋणदाता को अब सामूहिक रूप से "सह-ऋणदाता" कहा जाएगा।

b. सह-ऋण व्यवस्था का विवरण इस परिशिष्ट में दिया गया है। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उसने इस परिशिष्ट की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है तथा वह इस परिशिष्ट की शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत है और वचनबद्ध है।

c. बैंक द्वारा बैंक अंशदान के हस्तांतरण पर, ऋण की शर्तों को इस प्रकार से नवीकृत माना जाएगा कि बैंक ऋण का सह-ऋणदाता बन जाएगा और यह माना जाएगा कि उसने ऋणदाता के साथ सह-ऋणदाता के रूप में इस दस्तावेज को निष्पादित किया है।

d. बैंक द्वारा बैंक अंशदान के हस्तांतरण पर, ऋण में ऋणदाता के सभी अधिकार, स्वत्वाधिकार और हित, बैंक को (बैंक अंशदान के हस्तांतरण के अनुसरण में वह जिस विस्तार तक हकदार है) पूर्णतः और हमेशा के लिए हस्तांतरित हो जाएंगे, जिसका उद्देश्य और आशय यह होगा कि बैंक को पूर्ण और निरपेक्ष स्वामी माना जाएगा और इस प्रकार कानूनी रूप से और लाभकारी रूप से ऋण के ऐसे सभी ऋण-भार का हकदार माना जाएगा, जो सभी बाधाओं से मुक्त होगा।

e. सह-उधार परिपत्र के अनुसार, प्रत्येक सह-ऋणदाता, किसी भी प्रकार की बाधा, प्रतिबंध, परिसीमा के बिना अन्य सह-ऋणदाताओं की पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद ही, ऐसे करार से जुड़े सभी अधिकारों और लाभों (बैंक द्वारा किए गए किसी भी समनुदेशन, हस्तांतरण या नवीकरण के मामले में समापन हानि गारंटी के लाभ के साथ) सहित, करार के तहत अपने किसी भी अधिकार या प्रतिबद्धता को किसी अन्य पक्ष को सौंप सकता है, हस्तांतरित या नवीकृत कर सकता है।

2. प्रतिभूति न्यासी

a. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि प्रतिभूति न्यासी करार के अनुसार ऋणदाता द्वारा एक न्यास स्थापित किया जाएगा, जिसमें ऋणदाता इसके नियमों के अनुसार प्रतिभूति न्यासी के रूप में कार्य करेगा और उधारकर्ता संपूर्ण प्रतिभूति हित बनाएगा और ऋण के संबंध में संबंधित प्रतिभूति प्रलेखों को प्रतिभूति न्यासी के पक्ष में निष्पादित करेगा (प्रतिभूति न्यासी करार की शर्तों के अनुसार और ऋणदाता और बैंक के लाभ के लिए कार्य करते हुए) उसी तरीके और प्रकार से जैसे कि उधारकर्ता ने कंपनी और बैंक के लाभ के लिए उक्त प्रतिभूति हित को धारण करने के लिए ऋणदाता को प्रतिभूति न्यासी के रूप में नियुक्त किया था। बैंक की भागीदारी और बैंक द्वारा बैंक के अंशदान को हस्तांतरित करने पर, सह-उधार करार की शर्तों के तहत बैंक को किए जाने वाले भुगतानों में बैंक के अधिकार, स्वत्वाधिकार और हित की सीमा तक बैंक को प्रतिभूति पर पूर्ण अधिकार होगा और प्रतिभूति न्यासी प्रतिभूति को न्यास में और बैंक के लाभ के लिए रखेगा।

b. प्रतिभूति न्यासी करार के अनुच्छेद 7 के अनुसार प्रतिभूति के किसी भी प्रवर्तन का कार्य भी करेगा तथा स्वयं और बैंक की ओर से उधारकर्ता से सभी प्रवर्तन आगम एकत्र करेगा।

c. इसके अलावा, यह प्रलेख प्रतिभूति न्यासी द्वारा ऋणदाता और बैंक के लाभ के लिए न्यास के रूप में रखा जाएगा।

d. इसके अलावा, प्रतिभूति न्यासी ऋणदाता और बैंक के लिए, उनकी ओर से तथा उनके लाभ के लिए उधारकर्ता/गारंटीकर्ता या किसी अन्य सुरक्षा प्रदाता द्वारा बनाए गए प्रतिभूति हित को धारण करने के लिए न्यासी के रूप में कार्य करेगा।

e. सह-ऋण व्यवस्था के अनुसार, ऋणदाता और प्रतिभूति न्यासी इस प्रलेख ऋण से संबंधित किसी भी अन्य प्रलेख और इसके तहत बनाई गई प्रतिभूति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे।

3. बैंक और ऋणदाता की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और प्रसंविदायें

a. ऋणदाता, उधारकर्ता के लिए एकल इंटरफेस बिंदु बना रहेगा, भले ही बैंक द्वारा ऋण का कोई भी भाग नवीकृत किया जा रहा हो।

b. ऋणदाता की अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होंगी:

i. स्वयं और बैंक की ओर से उधारकर्ता से ऋण के विरुद्ध प्राप्य राशियाँ और पुनर्भुगतान राशियों को वसूल करना; और

ii. उधारकर्ता का विवरण और लेखा रखें।

c. ऋणदाता और बैंक ने ऋणदाता और बैंक द्वारा पारस्परिक रूप से तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसकी निगरानी की जाएगी और आवधिक समीक्षा की जाएगी। ऋणदाता और बैंक इस बात पर सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि इस व्यवस्था के तहत दिए गए ऋण बैंक और ऋणदाता की आंतरिक/सांविधिक लेखा परीक्षा के अधीन होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण उनके संबंधित आंतरिक दिशानिर्देशों, करार की शर्तों और मौजूदा नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

d. सह-उधार व्यवस्था के तहत, बैंक और ऋणदाता ने पुष्टि की है कि वे ऋण के संबंध में सभी मामलों में RBI द्वारा दिनांक 05 नवंबर, 2020 की अधिसूचना, जिसका शीर्षक "बैंकों और NBFC द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को सह-उधार" है, के तहत अधिसूचित सह-उधार मॉडल का पालन करेंगे, जिसे समय-समय पर संशोधित, अनुपूरित और प्रतिस्थापित किया गया है।

e. ऋण के संबंध में उधारकर्ता से देय राशियों की वसूली और वापसी तथा ऋण की सेवा और वसूली के संबंध में सभी कार्य और निष्पादन ऋणदाता द्वारा किए जाएंगे, इसलिए ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान ऐसे खाते में किए जाएंगे जैसा कि ऋणदाता द्वारा निर्देशित किया जा सकता है और ऋणदाता बैंक की सभी देनदारियों का भुगतान करेगा।

4. शिकायत निवारण

उधारकर्ता को करार के अनुच्छेद 7.11 के अनुसार अपनी सभी शिकायतों और परिवादों के लिए ऋणदाता से संपर्क करना होगा। ऋणदाता को 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा, अन्यथा उधारकर्ता के पास संबंधित बैंकिंग लोकपाल/NBFC के लोकपाल या RBI में ग्राहक शिक्षा एवं संरक्षण प्रकोष्ठ (CEPC) के समक्ष शिकायत उठाने का विकल्प होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक उधारकर्ता द्वारा बैंक के समक्ष उठाई गई किसी भी शिकायत/परिवाद पर विचार करने या उसका समाधान करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा बैंक उधारकर्ता द्वारा उसके समक्ष उठाई गई सभी शिकायतों/परिवादों को ऋणदाता के पास पुनर्निर्देशित करने का हकदार होगा।

5. कारोबार निरंतरता योजना

बैंक और ऋणदाता ने सह-ऋण व्यवस्था समाप्त होने की स्थिति में ऋण की चुकौती तक कंपनी द्वारा/या कंपनी और बैंक के बीच संरेखित रूप से उधारकर्ता को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए मास्टर करार किया है।

6. KYC

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता द्वारा एकत्रित KYC प्रलेख और जानकारी बैंक के साथ साझा की जा सकती है, ताकि बैंक अन्य पक्षकार KYC के लिए RBI मानदंडों के अनुरूप उस पर भरोसा कर सके। हालाँकि, इस तरह के KYC पर भरोसा करना है या नहीं, इसका निर्णय बैंक का है। उधारकर्ता, कंपनी द्वारा अपने KYC को उस बैंक के साथ साझा करने, भंडारण और उपयोग के लिए सहमति प्रदान करता है, जिसके साथ उसने सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है।

7. मिश्रित

a. ऋणदाता स्वयं और बैंक की ओर से इस प्रलेख के अंतर्गत अपने दायित्व का निर्वहन जारी रखेगा।

b. सह-उधार व्यवस्था के अनुसार, ऋणदाता, बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, ऋण और/या उधारकर्ता के संचालन या वित्तीय स्थितियों या व्यवसाय से संबंधित, उसे प्राप्त कोई भी जानकारी बैंक को उपलब्ध कराएगा, जिसमें उधारकर्ता द्वारा एकत्रित या उसे प्रस्तुत किए गए सभी प्रलेख /सूचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, बैंक उधारकर्ता के ऐसे सभी आंकड़ों, प्रलेखों, सूचनाओं की समीक्षा करने, उन्हें एकत्रित करने, संग्रहीत करने और अन्य वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने, प्रति विक्रय प्रस्ताव तैयार करने और यदि आवश्यक हो, तो उधारकर्ता के साथ भविष्य में कोई करार करने के उद्देश्य से उपयोग करने का हकदार होगा। बशर्ते कि, ऋणदाता और बैंक, आंकड़ा गोपनीयता पर लागू कानूनों के अनुपालन में उधारकर्ता के सभी आंकड़े और जानकारी को एकत्रित, संग्रहीत और साझा करेंगे।

c. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता और बैंक, उधारकर्ता को प्रदान किए गए ऋण में अपने-अपने हित पर परिसंपत्ति पहचान, परिसंपत्ति गुणवत्ता के संबंध में उचित संबंधित फाइलिंग, चिह्नांकन, टिप्पण करने के हकदार होंगे, जो उनमें से प्रत्येक पर लागू उचित नियामक मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा, जिसमें CIBIL और अन्य एजेंसियों, निकायों, नियामक प्राधिकरणों के साथ उचित फाइलिंग करना भी शामिल है।

d. उधारकर्ता और बैंक उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी अनाचार के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

मैं या हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों से सहमत हैं।

(उधारकर्ता(ओं) का हस्ताक्षर) :

BNF
BizzNextgenFinance

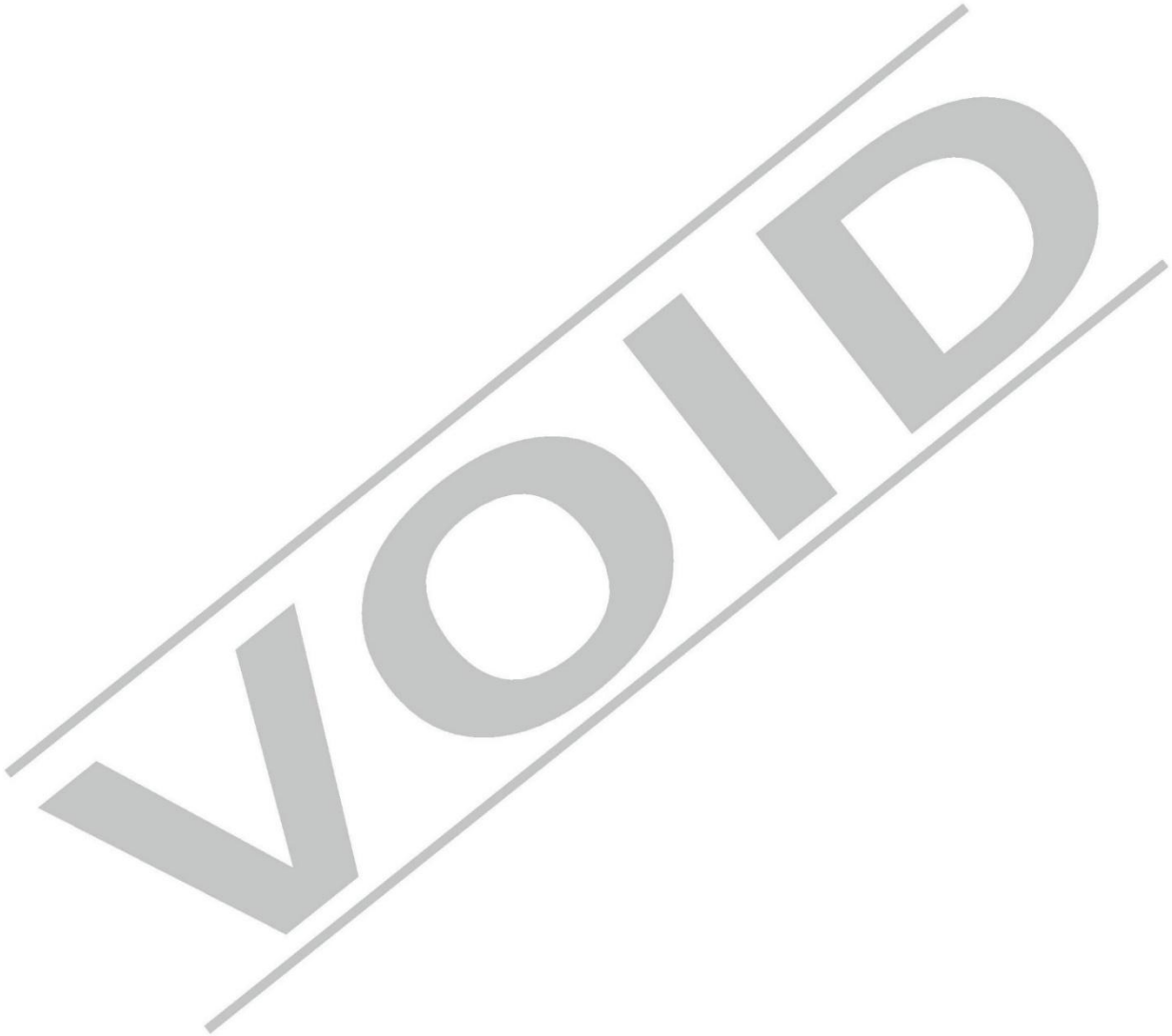
VOID